मध्यप्रदेश पंचायिका

अक्टूबर 2014

प्रबंध सम्पादक
रघुवीर श्रीवास्तव

समन्वय
सुरेश तिवारी

परामर्श
शिवानी वर्मा
देवेन्द्र जोशी

संपादक
रंजना चितले

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

कम्पोजिंग
अल्पना राठौर

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/ मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में

स्वच्छ भारत अभियान मध्यप्रदेश

सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ

हर कदम स्वच्छता की ओर

स्वच्छ भारत : स्वच्छ भारत और स्वच्छ मध्यप्रदेश बनायें	3
पहल : निरोग रहने के लिये स्वच्छता आवश्यक	6
स्वच्छ भारत : स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान का शुभारंभ	8
अभियान : स्वच्छ मध्यप्रदेश की ओर बढ़ते कदम	9
कार्यशाला : स्वच्छता को समुदाय आधारित जनआंदोलन बनाना	10
अभियान : मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत	11
स्वच्छ मध्यप्रदेश : स्वच्छता से समृद्धि	12
विशेष लेख : स्वच्छता, मर्यादा, सम्मान और पंचायतें	14
स्वच्छ मध्यप्रदेश : स्वच्छता से गढ़ेंगे विकसित मध्यप्रदेश के सोपान	16
विशेष लेख : निर्मलता से सबलता	17
मर्यादा : मर्यादा की रक्षा और महिलाओं का सम्मान	21
स्वच्छ भारत : मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका	25
जेन नेक्स्ट : बाल केबिनेट का गठन	27
स्वच्छता : आंगनवाड़ी स्वच्छता	31
आयोजन : मध्यप्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ड्राइविंग फोर्स	37
सम्मान : पंचायत दर्पण वेब पोर्टल को स्कॉच अवार्ड	43
पंचायत गजट : पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निरर्हताएं	46

आयुक्त की कलम से

प्रिय पाठको,

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत का नारा दिया है। इस पर कदम बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश में हर कदम स्वच्छता की ओर का आगाज हुआ है। मध्यप्रदेश में लोगों को स्वच्छता गतिविधियों से जोड़ने के लिये स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान की शुरुआत की गई है। इस खबर को हमने 'स्वच्छ भारत' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए मध्यप्रदेश में विश्व हाथ धुलाई दिवस के अवसर पर सामूहिक हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश के 14 हजार से अधिक शासकीय स्कूलों के 13 लाख 46 हजार बच्चों ने सामूहिक हाथ धुलाई का विश्व कीर्तिमान बनाया। इस आयोजन की जानकारी को हमने 'पहल' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। स्वच्छ मध्यप्रदेश और स्वच्छ भारत की परिकल्पना तब पूरी होगी जब देश के सभी गाँव पूरी तरह स्वच्छ हों यानि सभी गांवों में शौचालय हो, सीवेज व्यवस्था हो और साफ पेयजल उपलब्ध हो। इसी जानकारी को हमने 'अभियान' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। विगत दिनों भोपाल में निर्मल भारत अभियान को लेकर यूनीसेफ के सहयोग से एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 'कार्यशाला' स्तंभ में हमने इसी खबर को प्रकाशित किया है। जीवन में विकास के साथ-साथ स्वच्छता का भी बराबर महत्व है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत का नारा दिया है इसीलिए 'विशेष लेख' स्तंभ में हमने स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जानकारी प्रकाशित की है।

प्रदेश में ग्राम स्तर तक स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी की एक कड़ी है मर्यादा अभियान। 'मर्यादा' स्तंभ में हमने यही जानकारी प्रकाशित की है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत साफ-सफाई, घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्मल भारत अभियान चलाया जा रहा है जिसकी जानकारी 'स्वच्छ भारत' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित की गई है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हमारे आसपास का परिवेश स्वच्छ हो, बच्चों को स्वच्छता के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों में बाल केबिनेट का गठन किया गया है। बाल केबिनेट का दायित्व है कि वह सभी विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करे और स्वच्छता संबंधी निर्देशों का पालन कराए। इस जानकारी को हमने 'जेन नेक्स्ट' स्तंभ में प्रकाशित किया है। ग्रामीणजनों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा स्वच्छता दूत नियुक्त किए गए हैं। ये स्वच्छता दूत घर-घर जाकर, ग्राम सभाओं में जाकर लोगों को सफाई अभियान और स्वच्छता गतिविधियों से जोड़ते हैं। इस जानकारी को हमने 'स्वच्छता' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मेक इन इंडिया के आह्वान को साकार करने के लिए मध्यप्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2014 का आयोजन इंदौर में किया गया। इस समिट में देश-विदेश के उद्योगपतियों ने भाग लिया। समिट के दौरान प्रदेश में 6 लाख 89 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव भी आए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर केन्द्रित खबरों को हमने 'आयोजन' स्तंभ के अन्तर्गत प्रकाशित किया है।

प्रदेश की पंचायतों के वेबपोर्टल पंचायत दर्पण को त्रि-स्तरीय पंचायतों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए स्कॉच डिजिटल इन्क्लूजन अवॉर्ड मिला है। इन खबरों को हमने 'सम्मान' स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित किया है। अंत में स्वच्छता पर केन्द्रित यह अंक आपको कैसा लगा प्रतिक्रिया अवश्य भेजें।

(रघुवीर श्रीवास्तव)

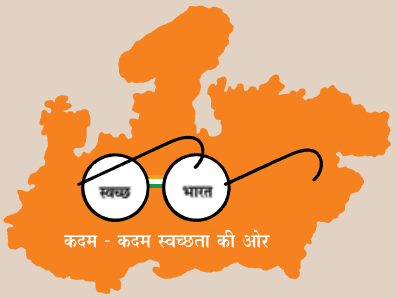

मेरा जनप्रतिनिधियों, शासकीय सेवकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों सहित सभी भाई बहनों से आग्रह है कि आप स्वच्छ भारत अभियान में शामिल होवें। हम सब संकल्प लें कि हमारा घर, गली, मोहल्ला, शहर, प्रदेश पूरी तरह से स्वच्छ बने। हर घर में शौचालय हो। मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि हर सप्ताह कम से कम दो घंटे 'स्वच्छ भारत अभियान' में लगायें। आइये, हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के इस अभियान में प्राण-पण से अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें।

शिवराज सिंह चौहान
मुख्यमंत्री

स्वच्छ भारत और स्वच्छ मध्यप्रदेश बनायें

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को भोपाल के छोला दशहरा मैदान और उसके समीप की बस्तियों शिवनगर, नवजीवन कालोनी में पहुँचकर की। उन्होंने बस्तियों में सफाई की और बस्तीवासियों को सफाई और स्वच्छता का संदेश देकर सफाई के लिये प्रेरित किया।

श्री चौहान ने स्वच्छता की अपील करते हुए कहा कि जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ ईश्वर का वास होता है। सुन्दरता, प्रसन्नता और समृद्धि के लिये स्वच्छता आवश्यक है। स्वच्छता से स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसीलिये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू कर स्वस्थ और समृद्ध भारत का रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सबका कार्यक्रम है। सब मिलकर स्वच्छता का कार्य करें। भारत को बदलना है तो स्वच्छ भारत और स्वच्छ मध्यप्रदेश बनाना होगा। इसकी शुरुआत अपने घर और मोहल्ले, गाँव और शहर से करें। अपने आपको स्वच्छ रखें। प्रतिदिन स्नान करें और हाथ धोकर ही खाना खायें।

उन्होंने बताया कि आगामी 15 अक्टूबर को मध्यप्रदेश में लाखों बच्चे हाथ धोयेंगे और स्वच्छता का संदेश देंगे। उन्होंने सप्ताह में कम से कम दो घंटे सफाई के लिये देने की अपील की। उन्होंने उपस्थित लोगों को स्वच्छता का संकल्प दिलवाया।

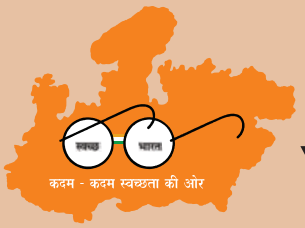

पांच साल में भारत को स्वच्छ बनाने का संकल्प

लगभग सौ साल पहले महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तब स्वाधीनता संघर्ष के साथ भारत को स्वच्छ बनाना उनके संकल्प का एक हिस्सा था। उन्होंने लोगों को समझाया भी और खुद भी हाथ में झाड़ू लेकर गंदी बस्तियों में सफाई की। गांधी जी के बाद सर्वोदय और गांधी मिशन ने इस काम को आगे जरूर बढ़ाया लेकिन वह जन अभियान न बन सका। यह सारी कोशिशें उस मानसिकता को न बदल सकीं जिसमें माना जाता है कि गंदगी हम करें और सफाई कोई और। जिस प्रकार अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश का प्रबंध करना होता है उसी प्रकार सार्वजनिक गंदगी को दूर करने के लिए सामूहिक सफाई जरूरी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सामूहिक सफाई का यही अभियान छेड़ा है और इसके समापन के लिए वर्ष 2019 निर्धारित किया है जब गांधी जी की डेढ़ सौ वीं जयंती है।

यह एक अराजनैतिक राष्ट्रीय अभियान है, लोग इसकी जरूरत महसूस कर रहे थे इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को हाथों-हाथ लिया गया। न केवल राजनैतिक कार्यकर्ता बल्कि प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद्, समाजसेवी, सामाजिक-धार्मिक संगठन सब सड़कों पर आ गए। अधिकांश जगहों पर मेहनत से काम हुआ, ईमानदारी से अभियान की शुरुआत की। स्वयं श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के वाल्मिकी मंदिर क्षेत्र के फुटपाथ पर पड़ी गंदगी साफ की। जब वे झाड़ू लगा रहे थे तब उन्होंने अपने समीप किसी को नहीं आने दिया और ऐसा ही काम मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में किया। उन्होंने अपने सफाई अभियान में छोला क्षेत्र की उस शिवनगर गंदी बस्ती को चुना जहां कूड़े के ढेर कभी भी देखे जा सकते हैं और आगन्तुकों को उस बस्ती के कुछ हिस्सों से निकलने के लिए नाक पर रूमाल रखना पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान सफाई अभियान की केवल शुरुआत करके नहीं लौट गए बल्कि उन्होंने सवा घंटे का श्रमदान किया।

ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। समय-समय पर कार्यक्रम बने। 1986 का ग्राम स्वच्छता अभियान, 1999 का संपूर्ण स्वच्छता अभियान या 2012 का निर्मल भारत अभियान साफ सफाई के लिए शुरू किए गए थे लेकिन वे कार्यक्रम गति न पकड़ सके जैसा इस साल श्री नरेन्द्र मोदी की पहल ने पकड़ा। श्री मोदी ने भी इसका श्रेय स्वयं लेने का प्रयास नहीं किया और न मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। श्री नरेन्द्र मोदी ने तो अपने संबोधन में पूर्ववर्ती सरकारों का बाकायदा नाम लेकर उनके कार्यों की प्रशंसा की और आभार माना जबकि शिवराज सिंह चौहान ने शिवनगर बस्ती के तमाम सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ा जो अन्य राजनैतिक दलों से संबंधित थे। इस अभियान को उन्होंने ठीक वैसा ही बनाने का प्रयास किया जैसा 6 साल पहले बड़े तालाब की सफाई के समय किया था। लोग जुड़े और जुड़ते चले गए।

गांधी जयंती के सबेरे का नजारा पूरे देश में एक सा था। जो जहां था वहां उसके हाथ में झाड़ू थी, सड़क की, गली की, मोहल्ले की और नालों की सफाई में जुटा था। एक भी मंत्री, अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, पंच-सरपंच ऐसा नहीं जिसने

अपने इलाके में झाड़ू न लगाई हो। यहां तक कि मध्यप्रदेश के राज्यपाल श्री रामनरेश यादव भी हाथ में झाड़ू लेकर सफाई करते नजर आए। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संदेश में दो बड़ी घोषणाएं कीं। एक तो साल भर के भीतर प्रदेश के सभी स्कूलों में शौचालय बनाने की और दूसरी पांच साल के भीतर प्रदेश के गांवों में सभी मकानों को शौचालय युक्त करने की। यह काम जितना कठिन है उससे ज्यादा कठिन है इन सभी शौचालयों का रखरखाव। मकानों को शौचालय युक्त करने से सार्वजनिक क्षेत्र की गंदगी तो दूर होगी लेकिन इन निर्मित शौचालयों को कैसे साफ रखा जायेगा यह भी एक बड़ा प्रश्न है। इसका नमूना बस स्टैण्डों, ग्रामीण हाटों और उन स्कूलों में देख सकते हैं जहां सफाई कर्मचारी नहीं हैं। सफाई का संकल्प प्रत्येक उस व्यक्ति को लेना होगा जो स्वयं गंदगी के लिए जिम्मेदार है। जब तक उसके अपने मन में सफाई की मानसिकता नहीं होगी तब तक भारत को स्वच्छ देश के रूप में नहीं देखा जा सकता। इस सफाई अभियान का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक देशवासी को अपने दायित्व का अहसास हो।

इस सफाई अभियान में कुछ रोचक तथ्य भी उपस्थित हुए। अनेक स्थानों में जहां कुछ लोग बाकायदा गांधी जी की वेशभूषा में सड़कों पर सफाई करने आए वहीं सोशल मीडिया पर एक फोटो ने बहुत लोकप्रियता पाई। यह फोटो एक पक्षी 'कागा' का है जो बाकायदा अपनी चोंच से कचरा उठाकर 'डस्ट बिन' में डाल रहा है। एक यही चित्र नहीं बल्कि सोशल मीडिया की तमाम साइटों और मीडिया की विभिन्न सुर्खियों में यह सफाई अभियान छाया रहा।

इसमें कोई शक नहीं कि सफाई जिन्दगी की प्रारंभिक जरूरत है। भारत मंगल पर पहुंच गया है। दावा है कि 2030 तक भारत दुनिया की दूसरी अथवा तीसरी बड़ी शक्ति होगा। यदि 'मेक इंडिया, स्किल इंडिया' का संकल्प है तो यह बिना सफाई के कैसे होगा। सफाई का सीधा संबंध सफाई से है। सफाई शौचालयों और सड़क की नहीं अपितु पूरे घर की होनी चाहिए, घर के आसपास भी होनी चाहिए। शरीर की हाथों की भी हो तभी भारत स्वच्छ होगा। स्वच्छ होगा तो स्वस्थ होगा। भारत में साठ प्रतिशत बीमारियां केवल गंदगी से आती हैं। कई बार घरों को साफ करके कचरा दरवाजे के किनारे डाल देते हैं। वह कचरा दोबारा घरों में आता है। घरों के भीतर जिनमें पृथक शौचालय या स्नानघर हैं भी तो उनमें सफाई नहीं होती। बीमारियों का बैक्टीरिया इन्हीं स्थानों में पलता है। हाथ यदि ठीक से साफ न हों तो गंदगी पेट में जाती है और बीमारी लाती है। भला बीमार इंसान क्या काम कर सकता है। कैसे 'मेक इन इंडिया' का सपना पूरा कर सकता है। गांधी जी इस बात को समझते थे। इसीलिए उन्होंने 'सपनों' में एक स्वस्थ, समृद्ध और स्वाधीन भारत की कल्पना की। अपने सपने को पुस्तक का रूप भी दिया लेकिन उन्होंने अपना काम सफाई अभियान से शुरू किया।

आजादी के 67 वर्षों बाद देशवासियों को समझ आई गांधी जी की बात। वह बात जो वे जानते थे। उन्होंने अपना काम दो मोर्चों पर एक साथ किया था। एक तो अंग्रेजों से मां भारती की मुक्ति और दूसरी जन जागृति की। आजादी के बाद गांधी जी को प्रतिवर्ष याद तो किया जाता है, देश के विभिन्न चौराहों पर जो मूर्ति लगी है, सड़कों के नाम भी गांधी के नाम पर हैं लेकिन राष्ट्र जीवन से 'गांधीत्व' कहीं लोप हो गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस स्वच्छता अभियान ने उस 'गांधी-तत्व' को जीवन में ढालने की शुरुआत की है इसकी शुरुआत गांधी जयंती से हुई है और इसका समापन गांधी जी की डेढ़ सौ वीं जयंती तक होगा। इस अभियान की विशेषता यह है कि यह केवल एक दिन का नहीं है यह प्रतिदिन चलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समाज से साल में कम से कम सौ घंटे सफाई अभियान में जुटने का आह्वान किया है। इसकी शुरुआत देश भर में की है। वे स्वयं भी सप्ताह में एक दिन कहीं न कहीं सफाई का काम करेंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही निर्णय लिया है। लिहाजा यह माना जाना चाहिए कि अब भारत की प्रगति को कोई रोक नहीं सकता।

● **रमेश शर्मा**

विश्व हाथ धुलाई दिवस

निरोग रहने के लिये स्वच्छता आवश्यक

जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सुन्दरता, स्वास्थ्य और समृद्धि होती है। शरीर के साथ मन भी स्वच्छ होना चाहिये। इसके लिये अच्छे विचार जरूरी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सीख देते हुए कहा कि माता-पिता और गुरू का आदर करें, सच बोलें, ईष्या नहीं करें। इससे अच्छा व्यक्तित्व बनता है।

पहला सुख निरोगी काया और निरोग रहने के लिये स्वच्छता आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस पर भोपाल के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राज्य-स्तरीय कार्यक्रम में छात्राओं के हाथ साबुन से धुलवाकर स्वच्छता का यह संदेश दिया। इसके साथ ही मध्यप्रदेश के 14 हजार स्कूल और 80 हजार आंगनवाड़ी के एक करोड़ से अधिक विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक रूप से हाथ धोने का विश्व कीर्तिमान रचने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। कार्यक्रम में महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, महापौर श्रीमती कृष्णा गौर एवं सांसद श्री आलोक संजर उपस्थित थे।

श्री चौहान ने कहा कि स्वच्छता सफाई का संस्कार भारत में हजारों वर्षों से है। घर के बड़े, बुजुर्ग बगैर हाथ-पैर धोये घर में प्रवेश नहीं करने देते थे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत अपने घर, पड़ोस तथा स्कूल से करें। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया है।

जहाँ स्वच्छता होती है वहाँ सुन्दरता, स्वास्थ्य और समृद्धि होती है। शरीर के साथ मन भी स्वच्छ होना चाहिये। इसके लिये अच्छे विचार जरूरी हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को सीख देते हुए कहा कि माता-पिता और गुरु का आदर करें, सच बोलें, ईर्ष्या नहीं करें। इससे अच्छा व्यक्तित्व बनता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को अपनी आदत बनायें। प्रदेश के नागरिक स्वच्छता की मिसाल प्रस्तुत करें।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री एवं जिले के प्रभारी श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि प्रदेश में इस कार्यक्रम के माध्यम से एक करोड़ बच्चों तक हाथ धोने का संदेश पहुँचाया जा रहा है। स्कूलों में मध्याह्न भोजन के पहले हाथ धोने के लिये साबुन और तौलिया उपलब्ध रहेगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी ने कहा कि विश्व हाथ धुलाई दिवस पर प्रदेश के एक लाख 19 हजार स्कूलों में कार्यक्रम किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में स्वच्छता को महत्व दिया गया है।

स्कूल की छात्रसंघ अध्यक्ष कुमारी फलक नाज ने विश्व हाथ धुलाई दिवस का महत्व बताया। जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना-हिम्मत सिंह, विधायक श्री विश्वास सारंग, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा और आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र श्रीमती रश्मि शमी सहित बड़ी संख्या में बच्चे कार्यक्रम में उपस्थित थे। स्कूल शिक्षा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही प्रदेश के सभी नगरीय एवं ग्रामीण निकायों ने इस आयोजन में भागीदारी की। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) में कार्यरत संस्था एम पी टास्ट की वॉश परियोजना, एनडीटीवी, डिटॉल तथा वाटर एड सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएँ भी इस आयोजन में भागीदार हैं।

मध्यप्रदेश ने रचा नया विश्व कीर्तिमान

विश्व हाथ धुलाई दिवस पर मध्यप्रदेश के स्कूली बच्चों ने नया विश्व कीर्तिमान रच दिया है। हाथ धुलाई का वर्तमान विश्व रिकार्ड अर्जेन्टीना, पेरू और मेक्सिको के नाम है। इन तीन देशों में गत 14 अक्टूबर 2011 को अलग-अलग स्थान पर एक साथ 7,40,870 लोगों ने हाथ धोकर गिनीज बुक में कीर्तिमान स्थापित किया था। मध्यप्रदेश एक मात्र राज्य है जिसने इन तीन देशों द्वारा बनाये गये विश्व कीर्तिमान को पीछे छोड़ दिया। 15 अक्टूबर को राज्य के 14 हजार 429 शासकीय स्कूलों के 13 लाख 46 हजार 45 बच्चों द्वारा एकसाथ हाथ धुलाई अभियान में भागीदारी करने की अधिकृत सूचना दर्ज हो चुकी थी। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से जानकारी के संकलन का काम अभी जारी है। करीब 5 हजार स्कूलों से विवरण प्राप्त होना बाकी है।

15 अक्टूबर को मध्यप्रदेश की 19 हजार 735 शालाओं में वृहद हाथ धुलाई कार्यक्रम में सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक लाखों स्कूली बच्चों ने एक साथ भागीदारी कर नया विश्व कीर्तिमान रचा। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टेशन क्षेत्र, भोपाल स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सुबह राज्य स्तरीय हाथ धुलाई कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा जिला प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव की अध्यक्षता, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती मायासिंह और स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री श्री दीपक जोशी के विशेष आतिथ्य में हुआ। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्रीमती अरुणा शर्मा ने बताया कि 15 अक्टूबर को मध्यप्रदेश की सभी 1 लाख 14 हजार शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं और 80 हजार से अधिक आँगनवाड़ियों में साबुन से हाथ धुलाई का कार्यक्रम हुआ।

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकार्ड के सत्यापन के लिये विशेष रूप से चयनित प्रदेश के 19 हजार 735 स्कूल में वीडियो केमरों तथा मोबाइल फोन केमरों के द्वारा वीडियोग्राफी की गयी। श्रीमती शर्मा ने बताया कि इस आयोजन में भागीदार सभी बच्चों के नाम सहित प्रमाणित विवरण और स्कूलवार अनकट वीडियोग्राफी गिनीज बुक की ओर विधिवत प्रक्रिया द्वारा भेजी जायेगी। गिनीज बुक द्वारा इस प्रमाणित विवरण के आधार पर विश्व हाथ धुलाई के नये कीर्तिमान की अधिकृत घोषणा शीघ्र कर दी जायेगी।

भावी पीढ़ी को स्वच्छता शिक्षा प्रदान करने और नागरिकों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने की दिशा में हो रहे इस राज्य-व्यापी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये प्रदेश में व्यापक तैयारियाँ की गई थीं। स्कूल शिक्षा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ ही सभी नगरीय एवं ग्रामीण निकायों ने इसमें व्यापक भागीदारी निभाई। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन मध्यप्रदेश, ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) में कार्यरत संस्था एम.पी. टास्ट की वॉश परियोजना तथा वाटर एड सहित विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी की। मध्यप्रदेश में रचे गये नये विश्व कीर्तिमान के बारे में अधिकृत जानकारी और विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mpwash.org पर भी उपलब्ध रहेगा।

दैनिक जीवन में स्वच्छता को महत्व दें

स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान का शुभारंभ

पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे दैनिक जीवन में स्वच्छता को महत्व दें। श्री भार्गव 25 सितंबर को भोपाल के बरखेड़ा माध्यमिक शाला, भेल, भोपाल में 'स्वच्छ मध्यप्रदेश' अभियान का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि घर-आँगन, गाँव-शहर और देश-प्रदेश में स्वच्छता होगी, तभी सही मायनों में हम प्रगति कर सकेंगे।

श्री भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान शुरू किया गया है। राज्य की शत-प्रतिशत ग्रामीण आबादी को खुले में शौच के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिये मर्यादा अभियान में प्रतिवर्ष 10 लाख शौचालय बनाये जा रहे हैं।

प्रदेश में पर्यावरण को बेहतर बनाने और परिवेश की स्वच्छता के लिये पंच-परमेश्वर योजना में प्रदेश की सभी 23006 ग्राम पंचायतों में सीमेन्ट-क्रांकीट की आंतरिक सड़कें और नालियाँ बन रही हैं। स्वच्छता का वातावरण निर्मित होने से ही प्रदेश गंदगी और बीमारी से मुक्त हो सकेगा। श्री भार्गव ने विद्यालय परिसर में नवनिर्मित मध्याह्न भोजन कक्ष और हेण्ड वाशिंग प्लेटफार्म का शुभारंभ भी किया।

कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मीना गोयल ने कहा कि स्वच्छता के बगैर विकास अधूरा रहता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने में व्यापक योगदान दें। विशेष अतिथि सांसद श्री आलोक संजर ने कहा कि भावी पीढ़ी को इस अभियान से जोड़कर हम देश का सुंदर भविष्य निर्मित कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि देश-प्रदेश की स्वच्छता के लिये सभी नागरिकों को जागरूकता के साथ आगे आना चाहिये। श्री संजर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भावनाओं के अनुरूप स्वच्छता पर सर्वाधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता बताई।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी जल एवं स्वच्छता मध्यप्रदेश श्रीमती हेमवती वर्मन ने स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान तथा स्वच्छ भारत अभियान के राज्यव्यापी कार्यक्रम की रूपरेखा बताई।

स्वच्छ मध्यप्रदेश की ओर बढ़ते कदम

मध्यप्रदेश को स्वर्णिम बनाने की परिकल्पना में स्वच्छता का महत्वपूर्ण स्थान है। यह भी सत्य है कि अस्वच्छता से सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण के स्तर पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। समुदाय के जीवन स्तर में सुधार तथा स्वस्थ जीवन की सुनिश्चितता एवं मध्यप्रदेश में स्वच्छता कवरेज को तेजी से बढ़ाने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर कार्य किया जा रहा है, जिससे समुदाय में स्वच्छता व्यवहारों में बदलाव आए और जीवन स्तर उच्च हो सके । मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान को चरण बद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें मुख्य जोर ग्रामों को पूर्ण रूप से खुले में शौच की प्रथा से मुक्त एवं स्वच्छ ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है। यह अभियान न केवल स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण का है अपितु समुदाय में स्वच्छता संस्कारों के विकास का अभियान है। इस अभियान को जन-आंदोलन के रूप में क्रियान्वित करने के लिए समाज के हर वर्ग को जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। इस अभियान में समस्त जनप्रतिनिधि, ग्रामवासियों, पंचायत पदाधिकारियों, हर स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा मैदानी अमले की भागीदारी की महती आवश्यकता है। अभियान के अंतर्गत यह महत्वपूर्ण है कि समुदाय स्वच्छता को अपनाने तथा खुले में शौच की प्रथा को बंद करने के लिए एकमत हो तथा स्वच्छता के नियमों का निर्धारण कर पालन सुनिश्चित करे। स्वच्छ भारत अभियान को मध्यप्रदेश में विभिन्न चरणों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

प्रथम चरण में एक विशेष जनजागरण अभियान के तहत दिनांक 25 सितम्बर 2014 से 19 नवम्बर 2014 तक जन-जागृति के लिए संचार गतिविधियों एवं

मध्यप्रदेश में स्वच्छ भारत अभियान को चरण बद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें मुख्य जोर ग्रामों को पूर्ण रूप से खुले में शौच की प्रथा से मुक्त एवं स्वच्छ ग्राम के रूप में विकसित किया जाना है। यह अभियान न केवल स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण का है अपितु समुदाय में स्वच्छता संस्कारों के विकास का अभियान है।

समुदाय को स्वच्छता से जोड़ने के लिए जिला विशेष स्वच्छता अभियान, ग्राम सभाओं एवं दस्तक अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही शालाओं तथा आंगनवाड़ियों में भी बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। इसी दौरान माह अक्टूबर 2014 के अंत तक सीहोर जिले के बुदनी विकासखण्ड को पूर्णतः खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाएगा।

द्वितीय चरण में व्यापक संचार गतिविधियों के साथ साथ हरदा, उज्जैन, बैतूल, देवास, सागर, कटनी, बड़वानी, रायसेन एवं बुरहानपुर जिलों को वर्ष 2015 के अंत तक खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाली 31 ग्राम पंचायतों में कार्ययोजना प्रारंभ की जाएगी तथा समस्त शाला तथा आंगनवाड़ी शौचालयों में शेष बचे शौचालयों को अगस्त 2015 तक पूर्ण कराया जाएगा।

तृतीय चरण में शेष 42 जिलों को चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2018 तक खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा। वर्ष 2015-16 में 5000 से 10000 जनसंख्या वाली 469 ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य पूर्ण किये जाएंगे तथा अन्य पंचायतों में वर्ष 2018 तक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य कराये जाएंगे।

व्यवहार परिवर्तन संचार गतिविधियों के ग्राम स्तर पर प्रभावी क्रियानवयन के लिए ग्राम स्तर पर स्वच्छता दूतों का चयन कर प्रशिक्षण किया जा रहा है। जिससे परिवार स्तर पर स्वच्छता के लिए गृहभेंट सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही विकासखण्ड स्तर पर प्रेरकों का दल तैयार किया जा रहा है जिनके द्वारा समुदाय में स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जाएगा तथा खुले में शौच की प्रथा प्रतिबंधित करने के लिए समुदाय को तैयार किया जाएगा।

प्रदेश के शालाओं में स्वच्छता सुविधाओं कि रखरखाव एवं नियमित स्वच्छता के लिए कार्पोरेट जगत को भी कार्पोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी के तहत जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता सुविधाओं के आंकड़ों के संधारण तथा अनुश्रवण को पुख्ता बनाने के लिए भी समग्र आंकड़ों का सत्यापन कराया जाकर संधारित किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है हम सब में स्वच्छता के प्रति मानसिक बदलाव हो जिससे सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने तथा स्वयं को स्वच्छ रखने के संस्कार विकसित हो सके। मुझे विश्वास है कि स्वच्छ भारत अभियान में अपना घर, अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना शहर साफ और स्वच्छ करने में आप सभी भागीदार बनेंगे, जिससे स्वच्छ मध्यप्रदेश की परिकल्पना साकार हो सके तथा स्वच्छ भारत का निर्माण हो सके।

श्रीमती हेमवती वर्मन (भा.व.से)
राज्य कार्यक्रम अधिकारी
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (म.प्र.)

स्वच्छता को समुदाय आधारित जनआंदोलन बनाना

निर्मल भारत अभियान को "समुदाय आधारित जनआंदोलन" के रूप में विकसित करने तथा गांव को खुले में शौच से मुक्त करने तथा धारणीय बनाने के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने राज्य के 6 जिलों में प्रायोगिक स्तर पर प्रशिक्षित प्रेरकों के माध्यम से एक पायलेट प्रोजेक्ट निर्मित किया। इन 6 जिलों में सागर, बड़वानी, उज्जैन, कटनी, बैतुल तथा रायसेन शामिल हैं।

इन जिलों के जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं जिला समन्वयकों की एक दिवसीय कार्यशाला भोपाल में 30 जुलाई 2014 को यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित की गई।

इस कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय की अपर मुख्य सचिव, डॉ. (श्रीमती) अरुणा शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री संजीव कुमार झा, यूनिसेफ के प्रमुख श्री ट्रेवर क्लार्क, राज्य कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती हेमवती वर्मन तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित हुए। कार्यशाला में अपर मुख्य सचिव द्वारा समस्त प्रतिभागी अधिकारियों को उनके जिले की स्वच्छता स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि स्वच्छता का अभियान मुख्यतः व्यवहार परिवर्तन पर आधरित है जिसे बिना समुदाय को आंदोलित किये हासिल नहीं किया जा सकता है। अस्वच्छता की समस्या को समुदाय के सहयोग से समाप्त किया जा सकता है तथा इससे प्रदेश की बाल मृत्युदर एवं अन्य स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक सूचकांकों को बेहतर बनाया जा सकता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि अस्वच्छता के घातक परिणामों से सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण गरीब परिवार हैं जिनकी तरक्की के लिए ग्रामीण विकास विभाग अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य करता है। यदि ग्रामीण परिवेश साफ और स्वच्छ हो जाए तथा ग्राम खुले में शौच की प्रथा बंद कर दे तो ग्रामीण विकास की योजनाएं गरीब परिवारों को ज्यादा लाभ पहुंचा पायेंगी और उनका जीवन स्तर बेहतर बन सकेगा। जिले के अधिकारियों द्वारा स्वच्छता अभियान को जनआंदोलन बनाने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जाए तथा समाज के हर व्यक्ति को जोड़ा जाए।

कार्यशाला में सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग श्री संजीव कुमार झा ने अपने प्रस्तुतीकरण से स्वच्छता अभियान के संचालन में मुख्य घटकों जैसे व्यवहार परिवर्तन, संचार, तकनीकी विकल्पों, सामग्री एवं राजमिस्त्रियों की उपलब्धता तथा अनुश्रवण पर विस्तार से चर्चा की।

यूनिसेफ के प्रमुख श्री ट्रेवर क्लार्क द्वारा स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सूचकांकों के संबंध के बारे में चर्चा की। साथ ही सभी कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से इस अभियान को प्राथमिकता में लाने के लिए अपील की।

श्रीमती हेमवती वर्मन राज्य कार्यक्रम अधिकारी ने चयनित जिलों में क्रियान्वित की जाने वाली रणनीति एवं गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उनके द्वारा जिले में विभिन्न भागीदारों को जोड़ने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। श्री मनीष माथुर, कार्यक्रम प्रबंधक, यूनिसेफ ने अस्वच्छता से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में तथ्य सदन में रखे। श्री संजय सिंह, विकास संचार विशेषज्ञ, यूनिसेफ ने व्यवहार बदलाव संचार मॉडल एवं संचार के तकनीकी पहलुओं के बारे में जानकारी दी।

सभी 6 जिलों के अधिकारियों द्वारा अपने-अपने जिले को वर्ष 2015 के अंत तक खुले में शौच से मुक्त करने की कार्ययोजना का निर्माण किया तथा उसे सभी के साथ साझा किया गया।

● अजीत तिवारी
● नागेश्वर पाटीदार

मध्यप्रदेश में

स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत

सम्पूर्ण देश के साथ-साथ मध्यप्रदेश में भी उत्साह के साथ स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों ने स्वच्छता और श्रमदान में हिस्सा लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जन्म दिन दो अक्टूबर के अवसर पर शुरू हुए इस राष्ट्रव्यापी अभियान में प्रदेश के करीब 3 करोड़ से अधिक नागरिकों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता की शपथ ली। सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान की शुरुआत के अवसर पर त्योहार की तरह उत्साह था। सभी जगह स्वच्छता ध्वज फहराया गया और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के संदेश का वाचन हुआ। प्रदेश की सभी 23,006 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के साथ ही ग्रामीणों ने स्वच्छता अभियान में भी भागीदारी की। मध्यप्रदेश को स्वच्छ बनाने के इस अनूठे अभियान की शुरुआत के पहले दिन विभिन्न जिलों के करीब 50 गाँव खुले में शौच की बुराई से मुक्त घोषित किये गये।

स्वच्छ भारत अभियान के शुभारंभ पर प्रदेश की सभी शैक्षणिक संस्थाओं, शासकीय कार्यालयों, चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों पर साफ-सफाई का सामूहिक आयोजन हुआ। शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी स्वच्छता अभियान और श्रमदान में हिस्सा लिया। इस अभियान में जन-प्रतिनिधियों, पंचायतों एवं नगरीय निकायों के पदाधिकारियों, स्व-सहायता समूहों, ग्राम एवं मोहल्ला समितियों के सदस्यों के साथ ही युवा वर्ग और विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ साफ-सफाई गतिविधियों में भागीदारी की। सभी जगह महिलाओं ने भी इस

अभियान में व्यापक उत्साह दर्शाया। प्रदेश के 1.24 लाख प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए हाथ धुलाई का सही तरीका भी सिखाया गया।

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती अरुणा शर्मा की मौजूदगी में सीहोर जिले की ग्राम पंचायत डोंडी को पूरी तरह खुले में शौच की बुराई से मुक्त घोषित किया गया। करीब 1801 जनसंख्या वाली इस ग्राम पंचायत के सभी 311 परिवारों ने अपने घरों में शौचालय बना लिये हैं, वे इनका उपयोग कर रहे हैं। इसमें ग्राम डोंडी के 243 और ग्राम रातिखेड़ा के 68 परिवार शामिल हैं। इस मौके पर विधायक श्री शैलेन्द्र पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान, जिला कलेक्टर डॉ. सुदाम खांडे भी मौजूद थे। कार्यक्रम में इस महती उपलब्धि के लिए ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती जानीबाई मेवाड़ा और पंचायत पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी अतिथियों और ग्रामीणों ने ग्राम के विभिन्न मार्गों की सफाई और श्रमदान में हिस्सा लिया। राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन श्रीमती हेमवती वर्मन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आर.आर. भोसले तथा आंचलिक प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक श्री एस.के. जुत्शी ने भी खुले में शौच की बुराई से मुक्त होने पर सभी ग्रामीणों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

● **देवेन्द्र जोशी**

स्वच्छता से समृद्धि

मध्यप्रदेश के हर घर में शौचालय बनाने के लिए मर्यादा अभियान के रूप में एक अभिनव शुरुआत हुई। यह अभियान न केवल बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए जरूरी बना बल्कि इसे महिलाओं की गरिमा से जोड़कर महिला सशक्तीकरण का औजार भी बनाया गया। इन प्रयासों से अभी तक 12 लाख घरों में शौचालयों का निर्माण किया गया है और 3031 ग्राम पंचायतें खुले में शौच से मुक्त हुई हैं।

यह अभियान सिर्फ लोगों को स्वच्छता की बात समझाने से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि बुनियादी तौर पर व्यवहार को बदलने की भी कोशिश है।

व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ पर्यावरण को साफ-सुथरा बनाने के लिए नयी पहल हुई 2011 में पंच-परमेश्वर योजना की शक्ल में, इस योजना के तहत गांव का माहौल साफ सुथरा बनाने के लिए आंतरिक सड़कें और नालियां बनाई गईं। सीमेंट कांक्रीट से बनने वाली ऐसी सड़कें अब तक करीब 9580 किलोमीटर लंबाई की बन चुकी हैं। अगले दो सालों में 7000 किलोमीटर की कांक्रीट सड़कें बनाई जाएंगी।

प्रदेश के जिन 12000 गांवों में अभी नल-जल योजना संचालित है, उन्हें सबसे पहले खुले में शौच से मुक्त बनाया जा रहा है। मध्यप्रदेश में जल निगम की योजना धारित 1900 गांव खुले में शौच से मुक्त हो जायेंगे। बात केवल निर्माण तक ही सीमित नहीं है। इन सड़कों और नालियों की लगातार सफाई और गंदगी का प्रबंधन जरूरी है। यह काम किये बिना स्वच्छता की व्यवस्था सफल नहीं हो सकती। निरंतर सफाई बनाए रखने के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था अभी दस हजार से अधिक आबादी की 31 पंचायतों में आकार ले चुकी है। आने वाले समय में हर पंचायत में यह व्यवस्था होगी।

ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता की शुरुआत हुई है। वार्ड स्तर पर विशेष स्वच्छता अभियान प्रारंभ हुआ है। लोगों से मिलकर उन्हें साफ-सफाई के महत्व के विषय में समझाया गया।

स्कूलों में छात्रों और छात्राओं के लिए शौचालय बनाने के काम को गति दी जा रही है। इसके साथ ही शहरों के उन इलाकों में

जहां शौचालय विहीन घर हैं, वहां सर्वेक्षण कर शौचालय बनाए जा रहे हैं।

स्वच्छता की आदतें बच्चों के जीवन में शुरुआत से ही डालने के लिए स्कूलों में मध्याह्न भोजन के समय साबुन से हाथ धोने और तोलिये से पोंछने की व्यवस्था की गई है। बच्चों को व्यक्तिगत सफाई के विषय में समझाया जा रहा है। स्वच्छता रखना, अपने इर्द-गिर्द सफाई का होना जैसी बातें समझाने में कई मुश्किलें आती रहीं, लेकिन प्रदेश की स्वच्छता गतिविधि को नया बल मिला है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किये गये स्वच्छ भारत अभियान से। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाया। 2 अक्टूबर को प्रदेश के सभी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ से अधिक लोगों ने सामूहिक रूप से स्वच्छता की शपथ ली और स्वच्छता ध्वज फहराया। इस अभियान में समाज के सभी वर्गों ने पूरे उत्साह के साथ भागीदारी की। प्रदेश की 1,14,000 शालाओं में, 23,006 ग्राम पंचायतों में, 80,000 आंगनवाड़ी केन्द्रों में और प्रदेश के 51 जिला अस्पतालों सहित 48,552 स्वास्थ्य केन्द्रों में साफ सफाई एवं श्रमदान किया गया। सभी शासकीय कार्यालयों के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी स्वच्छता की शपथ ली।

प्रदेश की 50 ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी ग्राम पंचायत को "खुले में शौच मुक्त" घोषित किया गया। इनमें सीहोर जिले की ग्राम पंचायत डोंडी भी है जिसमें 311 परिवार निवासरत हैं।

अब प्रदेश का हर नागरिक इस आंदोलन का हिस्सा बन रहा है। यह व्यवहार परिवर्तन की शुरुआत है। जागरूकता के इस अभियान से युवा वर्ग और 70 हजार स्व-सहायता समूहों को भी जोड़ा गया है। स्वच्छ भारत अभियान की

शुरुआत के साथ ही प्रदेश में नयी ऊर्जा आई है। स्वच्छता का अर्थ केवल व्यक्तिगत सफाई भर नहीं है। न ही यह अपनी गंदगी को पड़ोस में फेंक देना है। यह एक ऐसी सोच है जो अपने पूरे पर्यावरण को स्वस्थ रखने से जुड़ी है। हमारे सार्वजनिक स्थान स्वच्छ हों, हमारे काम की जगहें साफ-सुथरी हों, इससे न केवल हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा, हम भी शारीरिक-मानसिक रूप से सेहतमंद बनेंगे। यही वजह है कि स्कूलों, आंगनवाड़ियों, अस्पतालों और कार्यालयों को स्वच्छ बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में वर्ष 2015 तक प्रदेश के सभी स्कूलों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय और हाथ धुलाई प्लेटफार्म उपलब्ध कराये जायेंगे। वर्ष 2015 के अंत तक प्रदेश के 8 जिलों को खुले में शौच से भी मुक्त किया जायेगा। प्रदेश के अन्य सभी जिलों को वर्ष 2018 तक खुले में शौच से मुक्त और स्वच्छ बनाया जायेगा।

प्रदेश ने स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, स्वच्छता की ओर कदम बढ़ा दिये हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता, गांव की, शहर की स्वच्छता अब आंदोलन की शक्ल लेंगे। घर-दफ्तर, गली मोहल्ले, गांव शहर सब साफ सुथरे बनेंगे क्योंकि स्वच्छता और समृद्धि का रिश्ता लोग समझने लगे हैं।

● **चित्रा जोशी**

स्वच्छता, मर्यादा, सम्मान अ

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में सफाई अभियान चलाने का आह्वान किया है उनका नारा है "स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत"। यह अभियान गैर राजनैतिक है। इसमें समाज सेवियों, जागरूक नागरिकों और सामाजिक संस्थाओं से भागीदारी निभाने की अपील की गई है। श्री मोदी ने शासकीय कर्मचारियों से भी आग्रह किया है कि वे दो अक्टूबर गांधी जयंती को छुट्टी मनाने के बजाए सफाई अभियान में लगें। यह प्रधानमंत्री के आह्वान का ही परिणाम था कि 25 सितम्बर को जो जहां था उसने वहां झाड़ू लगाई। इसमें कोई पीछे नहीं रहा। यदि दिल्ली में इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी हाथ में झाड़ू लिए देखे गए तो भोपाल के बरखेड़ा में इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने की।

निसंदेह समृद्धि का आधार स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का आधार सफाई है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस सूत्र को बहुत पहले ही भांप लिया था। उन्होंने अपने स्वर्णिम मध्यप्रदेश के संकल्प को सफाई और स्वास्थ्य से जोड़ा था और सफाई की शुरुआत में ही उन्होंने गाँवों-कस्बों में खुले में शौच को रोकने का नारा दिया। उन्होंने इसे मर्यादा-अभियान का नाम दिया था। इसमें गांवों के घरों में शौचालय निर्माण के लिए अनुदान का प्रावधान भी किया गया है। श्री शिवराज सिंह चौहान गांवों में जब भी जाते, जहां भी जाते वे तीन ही बातों पर जोर देते। सफाई, शिक्षा और नशा मुक्ति। वे कहा करते थे कि एक व्यक्ति सालभर में जितने पैसे नशाखोरी में खर्च करता है, उतने पैसों में शौचालय का निर्माण हो जायेगा। वे पंचायतों से, पंचों से और सरपंचों से इस 'मर्यादा-अभियान' से जुड़ने की अपील भी करते। मध्यप्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि यह 'मर्यादा-अभियान' देश में लागू हो गया। यदि पंचायतें इसके क्रियान्वयन में ठीक वैसी ही भूमिका निभाएं जिसकी अपेक्षा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी को है तो मध्यप्रदेश का स्थान देश में उसी प्रकार अव्वल रहेगा जैसा कृषि विकास दर में सबसे ऊपर है और पिछले तीन सालों से लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है।

विकास के इस आधुनिक दौर में खुले में शौच जाना किसी भी नागरिक के लिए सम्मान और मर्यादा दोनों के अनुरूप नहीं माना जाता। भारत के लगभग नौ करोड़ घरों में शौचालय नहीं हैं। यह संख्या गांवों में घरों की संख्या की दृष्टि से लगभग एक तिहाई है। शौचालयविहीन घरों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक है जहां घरों में शौचालय नहीं हैं। स्त्री-पुरुष, बूढ़े-जवान, सब खुले में शौच जाते हैं। आज भी जब सुबह-सुबह रेलगाड़ी दिल्ली जैसे महानगर की सीमा में घुसती है, तो पटरियों के दोनों तरफ लोग शौच के लिए बैठे देखे जा सकते हैं। जब महानगर की हालत यह है तो गांव-खेड़ों की हालत का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अब सरकार ने इस हालत को सुधारने का बीड़ा उठाया है। केन्द्र सरकार ने भी और देश की हृदयप्रांत इस मध्यप्रदेश सरकार ने भी। हर घर में शौचालय का निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में भी है और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता में भी।

विकास के इस आधुनिक दौर में खुले में शौच जाना किसी भी नागरिक के लिए सम्मान और मर्यादा दोनों के अनुरूप नहीं माना जाता। भारत के लगभग 9 करोड़ घरों में शौचालय नहीं हैं। यह संख्या गांवों में घरों की संख्या की दृष्टि से लगभग एक तिहाई है। शौचालयविहीन घरों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक है जहां घरों में शौचालय नहीं हैं। स्त्री-पुरुष, बूढ़े-जवान, सब खुले में शौच जाते हैं। आज भी जब

और पंचायतें

सुबह-सुबह रेलगाड़ी दिल्ली जैसे महानगर की सीमा में घुसती है, तो पटरियों के दोनों तरफ लोग शौच के लिए बैठे देखे जा सकते हैं। जब महानगर की हालत यह है तो गांव-खेड़ों की हालत का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। अब सरकार ने इस हालत को सुधारने का बीड़ा उठाया है। केन्द्र सरकार ने भी और देश की हृदयप्रांत इस मध्यप्रदेश सरकार ने भी। हर घर में शौचालय का निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकताओं में भी है और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता में भी।

निसंदेह आज की यह तस्वीर भयावह है और शर्मनाक भी। जिन कुछ मामलों में भारत की नाक नीची होती है उनमें यह एक बात भी है। लेकिन इतिहास गवाह है इसके लिए भारत और भारत की संस्कृति जिम्मेदार नहीं है बल्कि वे लोग दोषी हैं जो आज दुनिया में सभ्यताओं के सिरमौर होने का दावा करते हैं। यदि हम मुगलकाल, तुगलकों और लोधी वंश के कार्यकाल का जिक्र न भी करें तो 1857 की क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेजों ने देश में जो 'सर्चिंग' अभियान शुरू किया, उसमें गांव के गांव उजड़ गए थे। कस्बे खंडहरों में बदल गए थे। खेती और शिल्प सब बर्बाद। लोग प्राण बचाकर भागने लगे, जो मिलता उससे पेट भर लेते। जब रहने का ठिकाना ही नहीं तब कौन शौचालय की फिक्र करता। विकास की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, वह सब 1947 के बाद की है। इससे पहले केवल राज-कर्मचारियों, जमींदारों, जागीरदारों, ताल्लुकेदारों अथवा श्रेष्ठि-परिवारों में शौचालय हुआ करता था। बाकी पूरा शहर, पूरा गांव खुले में ही जाया करता था। तब ज्यादा समस्या इसलिए नहीं हुई कि एक तो "माइन्ड सेट" हो गया था, दूसरे झाड़ियाँ, घाटियाँ और खुले मैदान झाड़-झंकाड़ों से भरे होते थे। अब स्थिति बदल गई है। घाटियां समतल हो गई हैं। मैदानों से झाड़-झाड़ियां साफ कर दी गईं। इससे जो वीभत्स दृश्य उभरकर आया उसने केन्द्र और राज्य सरकार दोनों के नेतृत्व को झकझोर दिया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान दोनों जमीन से जुड़े आदमी हैं। दोनों गांवों में जन्मे हैं। गांव के जीवन की किल्लत दोनों ने अपनी आंख से देखी है। गांव की समस्याएं ही क्यों बल्कि जीवन की प्रारंभिक जरूरतों को पूरा करने की जद्दो-जहद भी दोनों ने देखी है, भोगी है। इसलिए दोनों की बातें ठेठ जमीनी होती हैं। समस्याओं का जिक्र भी और उन्हें पूरा करने का संकल्प भी।

हालांकि न तो राज्य सरकार के पास और न केन्द्र सरकार के पास इस बात के पुख्ता आंकड़े हैं कि कुल कितने शौचालयों के निर्माण की वास्तविक जरूरत है। इसके दो कारण हैं - एक तो जो आंकड़े हैं वे अनुमानित हैं। दूसरे सम्मान के इस अभियान में घरों में शौचालय के निर्माण के लिए अनुदान के प्रावधान का कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया है। ऐसी शिकायतें हालांकि कम हैं लेकिन इनकी छाया उन तमाम कामों को ढंक देती है जो अच्छे काम हुए हैं। सीहोर जिले में शाहगंज, डोबी, विदिशा जिले में नटेरन जैसी पंचायतों ने इस दिशा में न केवल अपने लक्ष्यों को पूरा किया है बल्कि पैसे का पूरा उपयोग भी किया है। इन गांवों में जागृति देखते ही बनती है। घरों में शौचालय निर्माण के लिए वे परिवार भी आगे आए जिन्हें 'कोटा' पूरा हो जाने के कारण अनुदान का लाभ नहीं मिला।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का 'मेक इन इंडिया' आह्वान अथवा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का 'स्वर्णिम मध्यप्रदेश' का संकल्प तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हर घर में शौचालय नहीं होगा और स्कूलों में छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग 'निस्तार गृहों' के प्रावधान नहीं होंगे। इस अभियान को पूरा करने की जवाबदारी पंचायतों की है। गांवों के घरों, परिवारों और मानसिकता में सबसे करीब पंचायतें और पंचायत-प्रतिनिधि होते हैं। पंचों और सरपंचों का न केवल गहरा जुड़ाव होता है बल्कि अपने क्षेत्र के प्रत्येक परिवार से परिचय भी होता है। यदि पंच-सरपंच अपने क्षेत्र की सूचियां बनाकर काम करेंगे तो पांच साल की बात तो दूर एक साल में पूरा मध्यप्रदेश इस मामले में रिकॉर्ड बना सकता है। इस अभियान में तीन बड़ी बाधाएं हैं। एक तो मानसिकता, दूसरे धन की कमी और तीसरे पानी की कमी। जिन गांवों में जागृति के चलते शत-प्रतिशत शौचालय बन भी गए हैं वहां पानी की तंगी के कारण उनका बेहतर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूर्व में घोषित "मर्यादा अभियान" में तेजी की कमी का कारण भी यही माना गया।

पिछले दिनों मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इस "मर्यादा में अभियान" की समीक्षा तथा "हर घर शौचालय" निर्माण में तेजी लाने के उपाय पूछे। उन्होंने सभी कलेक्टरों से इस दिशा में जरूरी कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए तथा बजट की जरूरत बताने को भी कहा। लेकिन यह काम केवल प्रधानमंत्री की घोषणा पर मुख्यमंत्री की बैठक अथवा कलेक्टर के निर्देशों से नहीं होगा बल्कि इसे आकार देने की न्यूनतम इकाई पंचायतें ही हैं। निसंदेह काम 'मानवीय मर्यादा' और 'स्त्री सम्मान' से जुड़ा है जो मनुष्य की बुनियादी जरूरत से जुड़ा है।

यह काम सड़क बनाने और सामुदायिक भवन बनाने से भी पहले होना चाहिए। पंचायतों को अपनी प्रेरणा में ऐसा अभियान भी छेड़ना होगा जिसमें वे लोग सबसे आगे हों जो सक्षम हैं, बिना अनुदान की राशि के भी काम कर सकते हैं। जैसा कुछ गांवों में हुआ है।

● **मुकरिता दुबे**

स्वच्छता से गढ़ेंगे विकसित मध्यप्रदेश के सोपान

विकसित मध्यप्रदेश के सपने को साकार करने में प्रदेश सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। यह कदम है प्रदेश को स्वच्छ और निर्मल बनाने का। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर "स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान" की 25 सितम्बर 2014 से शुरुआत हो गयी है। इस मिशन के तहत गाँव, कस्बों और शहरों में एक साथ शुरुआत हुई। मध्यप्रदेश ही वह पहला राज्य है जहाँ स्वच्छ भारत मिशन का आगाज पहले हुआ। 25 सितम्बर 2014 से 19 नवंबर 2014 तक चलने वाले स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान में सिलसिलेवार स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। महिला ग्राम सभा, अस्वच्छता के दुष्परिणाम, मुद्दे को स्थापित करना, दस्तक अभियान घर-घर सम्पर्क, बच्चों के साथ संवाद, स्कूलों व आँगनवाड़ियों के शौचालयों की साफ-सफाई, विश्व हाथ धुलाई दिवस पर हाथ धुलाई का रिकॉर्ड कार्यक्रम, खुले में शौच चुनौती एवं मिशन स्वच्छता के लिए सामुदायिक पहल, गंदगी और शर्म से छुटकारा जैसे विविध पक्षों के तहत स्वच्छ प्रदेश के सोपान गढ़े जाएंगे। यह पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर स्वच्छता को लेकर प्रदेश में महाभियान चलाया जा रहा है। हालांकि इससे पहले भी मध्यप्रदेश सरकार की ओर से स्वच्छता को लेकर कई कदम उठाकर अभियान चलाए जा रहे हैं। राज्य की शत-प्रतिशत ग्रामीण आबादी को खुले में शौच के कलंक से मुक्ति दिलाने के लिए मर्यादा अभियान चलाया जा रहा है जिसमें प्रतिवर्ष 10 लाख शौचालय बनाए जा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में पर्यावरण को बेहतर बनाने और परिवेश की स्वच्छता के लिए पंच-परमेश्वर योजना में प्रदेश की सभी 23006 ग्राम पंचायतों में सीमेंट-कांक्रीट की आंतरिक सड़कें और नालियाँ बन रही हैं। वहीं सरकार के सहयोग से स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से जल स्त्रोतों की साफ-सफाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर प्रतिवर्ष स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जाता है। जिसमें शासकीय अमले के साथ प्रदेश की स्वयंसेवी संस्थाएँ, समाजसेवी और आम नागरिक बढ़-चढ़कर अपनी सहभागिता दर्ज करते हैं। स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान इसी सोच और प्रयास का व्यापक रूप है जिसमें स्वच्छता के सम्पूर्ण बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। हालांकि इस अभियान की रूपरेखा तब से ही प्रारंभ हो गई थी जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत मिशन चलाने की घोषणा की थी। अब म.प्र. ही पहला राज्य बना जहाँ इस मिशन की सबसे पहले पहल हुई। सम्पूर्ण भारत में इस मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 (महात्मा गाँधी जयंती) से होगी। इस दिन से पूरे भारत में स्वच्छता का बीड़ा उठाया जाएगा। इस मिशन के तहत केन्द्र सरकार ने देश के 4041 छोटे-बड़े शहरों एवं कस्बों को शौचालय से युक्त करने की महत्वाकांक्षी घोषणा की है। इससे देश के एक करोड़ चार लाख परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है। स्वच्छ भारत अभियान 62009 करोड़ रुपये का होगा। इसमें 14623 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार देगी बाकी राज्यों एवं अन्य साधनों से जुटाए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य देश से गंदगी को बाहर करने का है जिसे साकार करने में मध्यप्रदेश ने पहले ही बीड़ा उठा लिया है। स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सप्ताहवार गतिविधियों को बनाया गया है जिसमें सबसे प्रमुख है विशेष महिला ग्राम सभा। देश में पहली बार महिला ग्राम सभाओं में गाँव की सभी महिलाएं एक अनूठी पहल करेंगी। इसके तहत महिलाएँ अपने गाँव को खुले में शौच से मुक्त बनाने और स्वच्छ प्रदेश बनाने की शपथ लेंगी। इसके अलावा महिला निगरानी दल का गठन, समस्त शालाओं में स्वच्छता संकल्प, स्वच्छता संवाद, स्वच्छता रैली, संगोष्ठी जैसी पहल करेगी।

प्रदेश में लगभग डेढ़ महीने चलने वाले इस महाभियान की तैयारियाँ भी उच्च स्तर पर की गई हैं। सरकारी तंत्र के साथ-साथ पूरा प्रशासनिक अमला भी इस अभियान में सहभागी बनने जा रहा है। स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश का आम नागरिक भी इसका हिस्सा होगा। दरअसल इस पूरी संकल्पना के पीछे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की सोच एक ऐसे मध्यप्रदेश गढ़ने की है जो स्वच्छता के साथ-साथ लोगों की मानसिकता में भी बदलाव लाए। उन्होंने सार्वजनिक मंचों से भी स्वच्छता को अपनाने की अपील की है। इस महाभियान में उन अपीलों का असर दिखने की उम्मीदें हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री स्वच्छ मध्यप्रदेश अभियान को लेकर उत्साहित भी हैं और आशातीत भी। उनकी मंशा इस अभियान को अब तक के सभी अभियानों में से अव्वल बनाना है। जो रुचि उनके द्वारा दिखाई जा रही है उससे तो यही लग रहा है कि स्वच्छता का संदेश गाँव-गाँव तक पहुँचेगा।

● **नवीन शर्मा**

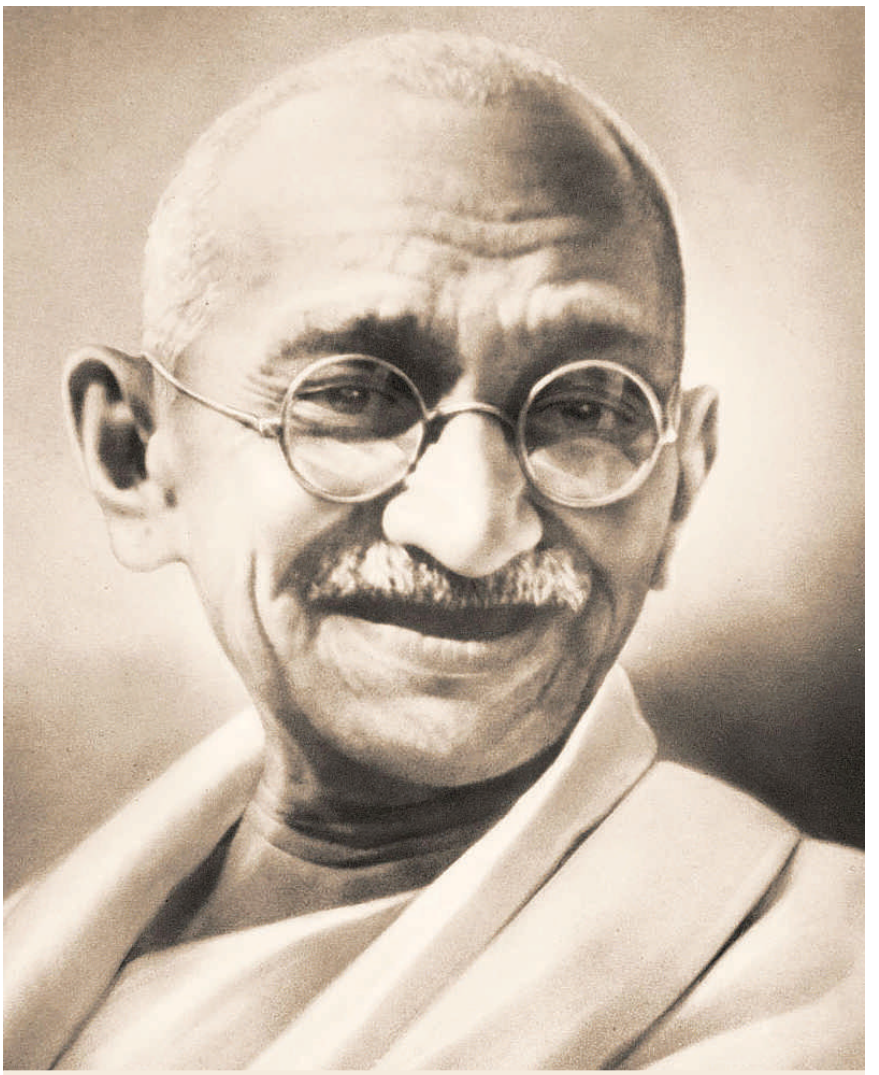

निर्मलता से सबलता

महात्मा गांधी के बाद श्री नरेन्द्र मोदी ऐसे दूसरे राष्ट्रीय व्यक्तित्व हुए जिन्होंने निजी व सार्वजनिक जीवन में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा। मध्यप्रदेश में इस विचार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आगे बढ़ाया। देश में चलाए जा रहे निर्मल भारत अभियान के बरक्स प्रदेश में मर्यादा अभियान चल रहा है पर जरूरी है कि यह जनआन्दोलन का रूप ले और कामयाबी के मुकाम तक पहुंच कर इस क्षेत्र में भी प्रदेश को अग्रगण्य बनाए।

पहले यह समझें कि वह आखिर कौन-सा विचार था जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने स्वच्छता अभियान को स्वतंत्रता अभियान से भी जरूरी माना था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मार्मिक अपील करते हैं कि हम नई पीढ़ी को स्वच्छ भारत की विरासत सौंपें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इस अभियान को व्यक्ति की मान मर्यादा व स्वाभिमान के साथ जोड़ते हैं। वस्तुतः इन तीनों नेताओं की सोच में एकरूपता यही है कि समृद्ध और स्वस्थ भारत का रास्ता स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता के बीच से ही निकलेगा। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे वहीं से स्वच्छता के आन्दोलन की जरूरत समझी और इसकी स्वयं के घर से शुरुआत की। महात्मा गांधी सफाई और पवित्रता को निजी कर्मकाण्ड का विषय मानते थे। उन्होंने जीवन भर इसका अनुपालन भी किया। वे कहते थे कि यदि गंदगी और प्रदूषण फैलाने का कारण व्यक्ति है तो उसका निदान भी है उसकी जिम्मेदारी और मूल कर्त्तव्य भी। इसी सोच के चलते बा (कस्तूरबा) से अक्सर विवाद होता था। भारत में आने के बाद यह देखकर वे बेहद आहत हुए कि एक समाज गंदगी व प्रदूषण फैलाता है तो उसको साफ करने का काम एक खास वर्ग करता है। समाज को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने के लिए जो खुद गंदगी और मैल से सना रहता है उसके लिए समाज में सम्मानजनक जगह नहीं। वह अछूत है। अछूतोद्धार आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। गांधीजी मानते थे दूषित और अपवित्र मन कभी अच्छा नहीं सोच सकता।

पर्यावरण व परिवेश का असर हमारे स्वभाव में पड़ता है। हमारा स्वभाव ही सामूहिकता में समाज और राष्ट्र का स्वभाव बनता है। समूचा राष्ट्र जब स्वच्छ व पवित्र होगा तब उसका स्वभाव भी उन्नतिशील और अग्रगामी होगा। पवित्रता हमारे कर्मकाण्ड से जुड़ी है। स्नान और त्रिकाल संध्या, आचमन व प्राच्छालन इसी के क्रम में हैं। देवता वहीं विराजित होते हैं जहां का वातावरण साफ-सुथरा व पवित्र होता है। गंदगी को दरिद्रता के साथ जोड़ा गया है। जहाँ गंदगी है वहां दरिद्रता है। वास्तु भी यही कहता है। दशहरा-दीवाली और होली मौलिक रूप से सफाई के प्रति लोक चेतना के पर्व हैं। इन पर्वों के आडंबर में न जाकर मर्म में जाइए तो समझ में आएगा। दीवाली घर व परिवेश को साफ-सुथरा करने के लिए हर बरस आती है। दीपमालाओं की

निर्मल ग्राम पंचायत : गोठ

ग्राम पंचायत गोठ, जनपद पंचायत अम्बाह, जिला मुरैना की जनसंख्या 2589 है, जिसमें कुल परिवार 539 हैं। 387 ए.पी.एल. परिवार, 138 बी.पी.एल. परिवार एवं 14 अन्त्योदय कार्डधारी परिवार ग्राम में निवासरत हैं। इस ग्राम पंचायत में 04 विद्यालय, 03 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। इन सभी शासकीय भवनों में शौचालय पृथक-पृथक बने हुये हैं। निर्मल ग्राम पंचायत बनाने के लिये किये गये प्रयासों में सबसे पहले ग्रामवासियों को समग्र स्वच्छता अभियान की जानकारी दी गई, गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई और ग्रामवासियों को समझाया कि खुले में शौच से घृणा करो। पहले तो ग्रामवासियों को समझाना बहुत मुश्किल रहा, किन्तु चौपालों पर संवाद लगातार करते रहने से लोगों को जागरूक करने में सफलता मिलने लगी और स्वच्छता तथा खुले में शौच बंदी के लिए सहमति बनी। सबसे पहले ग्राम सभा की बैठक कर, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया। समिति में अध्यक्ष, महादेव सिंह तोमर एवं सचिव रघुवीर सिंह तोमर तथा जगन्नाथ गुर्जर को, कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया, सभी ग्रामवासियों ने मिलकर विभाग के अधिकारियों से योजना के बारे में पूरी जानकारी ली तथा शौचालय तकनीक के बारे में जाना। ग्राम पंचायत गोठ के सरपंच श्री तहसील सिंह गुर्जर और पंचायत सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह परमार ने इस अभियान को अपना भरपूर सहयोग दिया। आज ग्राम पंचायत गोठ में बाहर शौच जाने पर पूर्ण पाबंदी है उसमें अगर कोई व्यक्ति बाहर शौच के लिये जाता है तो उसे 50 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है साथ ही उसका लोटा ग्राम पंचायत की निगरानी समिति द्वारा जब्त कर लिया जाता है और पूरे गाँव में ढिंढोरा पीटकर उस व्यक्ति का नाम उजागर किया जाता है साथ ही बच्चों की वानरसेना भी तैयार की गई। जिसमें बच्चे, खुले में शौच करते व्यक्ति को देखे जाने पर सीटी बजाते हैं।

श्रृंखलाएँ न सिर्फ वातावरण को आलोकित करती हैं, कीट पतंगों का भी नाश करती हैं। होली, वस्तुतः कूड़ा करकट के ढेर को भस्म करने का यत्न है। पुराणों, हमारे रीति-रिवाजों में पवित्रता व स्वच्छता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बच्चों का जो व्रतबंध होता है उसमें पुरोहित जो संदेश देते हैं वे सबसे ज्यादा पर्यावरण की रक्षा व स्वच्छता तथा पवित्रता के हैं। जल के स्त्रोतों को दूषित करना महान पाप और अपकर्म माना गया है।

पुराण की कथाओं-स्मृतियों व ग्रंथों में निजी आचरण के सूत्र व संकेत दिए गए हैं। देवी पुराण में जिक्र है कि मल-मूत्र, विष्ठा का उत्सर्जन और शौच, घर से उतनी दूरी में होना चाहिए-जहां तक कमान से निकला हुआ तीर जाए। शौच स्थल - प्राकृतिक जलस्त्रोतों से दूर हो। मल, मूत्र, विष्ठा के लिए अस्थाई गड्ढा बनाएँ और शौच क्रिया संपन्न करने के बाद उसे मिट्टी व खरपतवार से ढंक दें। शौच के प्रयोग में आने वाले पात्र को धोने-मांजने व खुद को पवित्र करने के कर्मकाण्डीय विधि-विधान हैं। बिना शुद्ध व पवित्र हुए कोई व्यक्ति घर में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। इस शुद्धता व पवित्रता में निजत्व था। उस काल में विस्तृत भू-भाग था। वन-प्रान्तर थे। तब ऐसा अनुशासन और आग्रह साफ-सफाई को लेकर था।

पिछली कुछ सदियों में हम भौतिकता की ओर तेजी से बढ़े। आबादी अपने साथ-साथ समस्याएँ भी लेकर आती है। संसाधनों में बंटवारा होता है। उसकी जरूरतें प्रकृति व पर्यावरण के रूप को भी बिगाड़ती हैं। गंदगी का आबादी के विस्तार व प्राकृतिक संसाधनों की कमी के साथ गहरा रिश्ता है। शहरों में क्या गांवों में भी स्लम विकसित हुए हैं। इसके चलते गंदगी सबसे बड़ी चुनौती। यह निजी स्तर पर भी व सार्वजनिक स्तर पर भी। कूड़ा-कचरा व पॉली वेस्ट, ई-कचरा इनके प्रबंधन की बात तो है ही। मानवीय उत्सर्जन तंत्र से निकलने वाले ठोस तरल अपशिष्ट, स्वास्थ्य के खतरे के रूप में सामने हैं। हर संक्रामक बीमारी के पीछे यही हैं। संक्रामक बीमारियों से जितनी जानें जाती हैं अन्य कारणों से नहीं। जहां पेयजल की नल-जल योजनाएं हैं। बच्चों के स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं की वजह से रहता है। एक महत्वपूर्ण सवाल महिलाओं के सम्मान व उनकी इज्जत के खतरे के साथ भी जुड़ा है। खुले में शौच जाना शर्म का विषय है। आए दिन घटनाएँ सुनने को मिलती हैं कि इज्जत लुट गई। यह इज्जत एक व्यक्ति की नहीं समाज की भी होती है, राष्ट्र की भी। यह इज्जत हममें शासन व प्रशासन की व्यवस्थाओं में भी होती है। सक्षम लोगों के पास तो अपने इन्तजाम व संसाधन हैं। गरीब और साधनहीन कहाँ जाएँ? सरकार ने इसकी चिन्ता की है। 1986 से केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। 2012 में इसे महत्वाकांक्षी व लक्ष्यबद्ध और योजनागत रूप देते हुए निर्मल भारत अभियान बनाया गया। प्रदेश ने इसी अभियान से मर्यादा अभियान को जोड़ा। यह अभियान सार्वजनिक और निजी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। निर्धन हो या सक्षम सभी को इसमें शामिल किया गया है। स्कूल, आंगनवाड़ी व अन्य सामुदायिक संस्थानों के लिए भी यह अभियान मदद के लिए तैयार है। स्वच्छ प्रदेश, निर्मल प्रदेश के लिए सार्थक शुरुआत हो चुकी है। इसे क्रांतिकारी रूप देते हुए जन आंदोलन में बदलने की जरूरत है। हम जहां भी हैं जैसे भी हैं अपने स्तर पर स्वच्छता, पवित्रता के लिए यत्न करें व जनचेतना जगाएँ। स्वच्छता के लिए खुद को यह मानिये कि जहाँ गंदगी है वहां कुमति है, जहाँ कुमति है वहीं विपत्ति है। मर्यादा अभियान इसी विपत्ति से निकालने के लिए है। इससे जुड़िए, इसे आगे बढ़ाइए तभी हम सब नई पीढ़ी को, अपनी आल-औलादों को स्वच्छ व समृद्ध भारत की विरासत सौंप पाएंगे। यही मोदीजी का संकल्प है, यही शिवराज सिंह चौहान की सोच और यही महात्मा गांधी का सपना।

● शशि शुक्ला

स्वच्छता से होगी स्वस्थ समाज की स्थापना

महात्मा गांधी ने स्वास्थ्य को सोने-चांदी से भी कीमती वस्तु माना है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि "हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें अन्यथा हम अपने मन को सक्षम और शुद्ध नहीं रख पाएंगे"। इन महान, अविस्मरणीय व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों से साफ है कि स्वास्थ्य एक ऐसी पूंजी है जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध स्वच्छता से है। शोध बताते हैं कि डायरिया, हैजा, मलेरिया, ट्रेकोमा आदि बीमारियों के पीछे अस्वच्छता मुख्य कारण है। अतः स्पष्ट है कि हम अपने आप को और आस-पास के वातावरण को जितना साफ रखेंगे उतना ही बीमारियों से दूर रहेंगे।

मध्यप्रदेश की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण जीवन की दिनचर्या के मद्देनजर अस्वच्छता को जड़ से मिटाना एक बड़ी चुनौती है। खुले में शौच, शौच के उपरांत हाथ न धोना, खाना खाने के पूर्व हाथ न धोना, कचरे का सही तरीके से निस्तारण न हो पाना आदि ऐसे प्रमुख कारण हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में अस्वच्छता को बढ़ाते हैं। हमारे ग्रामीण भाई-बहनों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन देने में निर्मल भारत अभियान जिसे हम पूर्व में समग्र स्वच्छता अभियान के नाम से जानते थे, एक प्रमुख धुरी के रूप में सामने आया है। वहीं मध्यप्रदेश शासन के 'मर्यादा' अभियान और निर्मल भारत अभियान के मनरेगा से अभिसरण ने स्वच्छता के प्रयासों को और बल दिया है। स्वच्छ ग्रामीण समाज के विकास में योजना निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण है स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता। यह प्रतिबद्धता मात्र शासन स्तर से ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के स्तर से भी आवश्यक है। निर्मल भारत अभियान मात्र एक योजना न होकर एक संकल्प है जो हमारे ग्रामीण समाज को स्वच्छता से स्वास्थ्य की ओर ले

जा रहा है।

बिजली, पानी, शिक्षा, रोजगार, आजीविका की ही भांति स्वच्छता पर भी ग्रामीण समाज का पूरा अधिकार है, इसलिए निर्मल भारत अभियान के प्रावधानों में व्यापकता और प्रक्रिया में सरलता रखी गई है। निर्मल भारत अभियान के तहत ग्रामीणजन स्वयं की भूमि पर शौचालय निर्मित कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें वित्तीय सहयोग दिया जाता है। ग्रामीण परिवार मात्र 900 रुपए का अंशदान देकर स्वयं की जमीन पर शौचालय निर्मित कर सकता है इसके अतिरिक्त शौचालय बनाने वाले परिवार को प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है। इस योजना से एक बड़ा समूह लाभ प्राप्त कर सकता है जिसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ए.पी.एल. और बी.पी.एल. परिवार, सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बी.पी.एल. परिवार, लघु तथा सीमांत कृषक, ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन परिवार, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति, जिस परिवार की मुखिया महिला हो शामिल हैं। इसी का नतीजा है कि प्रदेश के लगभग 1 लाख 80 हजार से अधिक परिवारों ने व्यक्तिगत शौचालय निर्मित कराए हैं।

निर्मल भारत अभियान के तहत सिर्फ व्यक्तिगत भूमि पर ही नहीं बल्कि स्कूलों में भी बालक-बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय निर्मित किए जाते हैं ताकि हमारे देश के नौनिहालों में स्वच्छता की प्रवृत्ति विकसित की जा सके और वह समाज को भी स्वच्छता की ओर प्रेरित कर सके। इसके लिए शौचालय की एक यूनिट के लिये 35000 रुपए का प्रावधान है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भवन में संचालित आंगनवाड़ियों के लिए 8000 रुपए तक की इकाई लागत वाला शौचालय निर्मित किया जा सकता है।

स्वास्थ्य के इतर निर्मल भारत अभियान का एक और प्रमुख पक्ष है, वह है महिलाओं की सुरक्षा। घर में ही शौचालय की उपलब्धता महिलाओं को विषम परिस्थितियों से निजात दिलाती है। विशेषकर स्कूल जाने वाली किशोर उम्र की छात्राएं जो स्कूल में पृथक शौचालय न होने से बीच में ही पढ़ाई का त्याग कर देती हैं, उनके लिए यह कार्यक्रम किसी वरदान से कम नहीं है।

अस्वच्छता को जड़ से मिटाने के लिए आवश्यक है कि गांव के सार्वजनिक स्थानों को भी स्वच्छ रखा जाए। निर्मल भारत अभियान के तहत बाजार, बस स्टैण्ड, सामुदायिक बैठकों के स्थान पर सामुदायिक शौचालय और स्वच्छता परिसर का निर्माण कराया जाता है। इनके निर्माण के लिये मनरेगा अंतर्गत मजदूरी की राशि व्यय की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन घरों और अन्य स्रोतों से निकलने वाला कचरा भी बीमारियां फैलाने के मुख्य कारक होते हैं। निर्मल भारत अभियान में ठोस तथा तरल अपशिष्टों के निपटान के लिये ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से सहायता दी जाती है।

किसी भी योजना के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि आम-जन योजना क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी करें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में वृद्धि तभी संभव है जब ग्रामीणजन आगे बढ़कर स्वच्छता की प्रवृत्ति को अपनाएं। निर्मल भारत अभियान स्वच्छता को बढ़ाने का साधन मात्र है, ग्रामीण जन इस साधन का उचित और अधिक से अधिक उपयोग करें तभी इस अभियान के उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। जनप्रतिनिधि और स्वयं सेवी संस्थाओं का भी दायित्व है कि वह अपने प्रयासों से समाज को स्वच्छता की ओर जागरूक करें। आखिर एक स्वच्छ समाज ही स्वस्थ समाज की नींव रख सकता है।

● **प्रेमा शर्मा**

“‘मर्यादा’ अभियान और निर्मल भारत अभियान के मनरेगा से अभिसरण ने स्वच्छता के प्रयासों को और बल दिया है। स्वच्छ ग्रामीण समाज के विकास में योजना निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण है स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता। यह प्रतिबद्धता मात्र शासन स्तर से ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के स्तर से भी आवश्यक है। निर्मल भारत अभियान मात्र एक योजना न होकर एक संकल्प है जो हमारे ग्रामीण समाज को स्वच्छता से स्वास्थ्य की ओर ले जा रहा है।”

मर्यादा अभियान

मर्यादा की रक्षा और महिलाओं का सम्मान

- **घर में पक्का शौचालय बनाने के लिए निर्मल भारत अभियान से मिलेगा रु. 4600 का प्रोत्साहन तथा मनरेगा से मजदूरी और सामग्री व्यय के लिये मिलेंगे रु. 5400, हितग्राही को रु. 900 अंशदान देना होगा तभी होगा अच्छा शौचालय का निर्माण। साथ ही यदि हितग्राही चाहे तो केवल मनरेगा से भी शौचालय निर्माण हेतु पूरे दस हजार रुपये प्राप्त कर सकता है।**
- **स्कूल शौचालय के लिए निर्मल भारत अभियान से मिलेंगे रु. 35000 और आंगनवाड़ी शौचालय के लिये रु. 8000 मिलेंगे।**
- **सभी बी.पी.एल. परिवार।**
- **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ए.पी.एल. परिवार।**
- **लघु व सीमान्त कृषक, भूमिहीन परिवार, शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के परिवार तथा महिला मुखिया वाले परिवार लाभान्वित।**

मध्यप्रदेश में मर्यादा अभियान की शुरुआत एक लक्ष्य, एक उद्देश्य को लेकर की गई है जिसमें समाहित हैं सम्मान, स्वच्छता और स्वाभिमान। लक्ष्य है सम्पूर्ण प्रदेश में स्वच्छता का संदेश देकर एक स्वच्छ, निर्मल प्रदेश का निर्माण करना। 2012 से प्रदेश में प्रारंभ मर्यादा अभियान निर्मल भारत अभियान का ही अंग है। यह एक मांग आधारित तथा समुदाय सहभागिता का अभियान है जिसमें प्रदेश की महिलाओं को केंद्रित किया गया है। इसका लक्ष्य खुले में शौच की असुविधा से मुक्ति पाना है।

प्रदेश में पहली बार इस महत्वपूर्ण पहलू पर कार्य प्रारंभ किया जिसके परिणामस्वरूप आज प्रदेश भर में निर्मलता की संकल्पना साकार हो रही है। इस संकल्पना को तीन चरणों में पूर्ण किया जा रहा है। प्रथम चरण में नलजल योजना वाले 5800 ग्रामों को चयनित किया गया है। इसके अतिरिक्त बुरहानपुर जिला, जनपद पंचायत बुदनी, जिला-सीहोर, जनपद पंचायत बदनावर, जिला-धार के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त किया जाएगा। दूसरे चरण में इस योजना का कार्य उन ग्रामों में किया जाएगा, जिनमें बंद नल जल योजना को आवश्यक सुधार कर पुनः प्रारंभ किया जाएगा तथा तीसरे चरण में शेष सभी ग्रामों को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही यदि किसी अन्य ग्राम से भी मांग प्राप्त होने पर भी राशि प्रदाय की जायेगी।

प्रदेश के ग्रामों में स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण के साथ ही रहवासियों की मर्यादा, स्वास्थ्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी सभ्य समाज में खुले स्थानों पर शौच की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मर्यादा अभियान का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्ति व ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं को व्यापक बनाना है ताकि लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को बेहतर बनाया जा सके। मर्यादा के अंतर्गत प्रत्येक घर में शौचालय, विद्यालय एवं शासकीय भवनों, आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण का प्रावधान है। ग्रामों को गंदगी से मुक्त करने के लिए तरल एवं ठोस अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान की व्यवस्था की जाती है। प्रयास ये भी किये जा रहे हैं कि इस अभियान को सफल और सार्थक बनाने में जनभागीदारी सुनिश्चित हो क्योंकि निर्मल प्रदेश की कल्पना तभी की जा सकती है जब प्रदेशवासियों में स्वच्छता की भावना जागृत हो। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करे। सिर्फ सरकारी प्रयासों से सार्थक परिणाम मुश्किल हैं। निर्मल प्रदेश की कल्पना एक सोच है। सोच परिवर्तन की है। सोच आत्मसम्मान की है। जब तक हम सोच पर विचार नहीं करेंगे तब तक बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते। समुदाय के व्यवहार में बदलाव तथा गांवों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए गतिशीलता और भागीदारी की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश में इस अभियान को गतिशील बनाने के लिए मर्यादा रणनीति के साथ क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत लोगों के रहन-सहन को गुणवत्तापरक बनाये जाने के लिए आधारभूत स्वच्छता सुविधाओं के सृजन के साथ ही समुदाय में स्वच्छता संबंधी व्यवहार अपनाने के लिए मंच पैदा करना मुख्य लक्ष्य है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवार विशेषरूप से महिलाओं

जिद करो और बदलो दुनिया

देवास जिले के सोनकच्छ विकासखण्ड की ग्राम पंचायत मुंडलाआना में सविता देवी का ससुराल है और पीहर (मायका) देवास जिले का बागली विकासखण्ड के ग्राम रोजड़ी में है इनकी शादी को 10 साल हो गये हैं और ये दो बच्चों की माँ भी हैं इनके पति देवकरण गांव के पास एक मंदिर में पुजारी का काम करते हैं साथ ही अपनी 15 बीघा जमीन भी स्वयं जोतते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, देवकरण के पिता नेत्रहीन हैं और उनकी माँ अपाहिज हैं इनके ऊपर अपने छोटे भाई और बहन की भी जिम्मेदारी है।

घर की बड़ी बहू सविता के ऊपर घर के काम-काज की सारी जिम्मेदारी होती है जिसे वो निभाने की पूरी कोशिश भी करती थी। परन्तु घर के कार्यों को समय पर पूरा नहीं कर पाने के कारण आये दिन घर में कलह मचती थी। घर के बुजुर्गों को सुबह आठ बजे खाने की आदत थी और सविता द्वारा समय पर खाना पकाना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि सविता के ससुराल में सभी कुछ था परन्तु शौचालय नहीं था जिसके चलते उसे बाहर शौच को जाना होता था और नित्यक्रिया में उसे अधिक समय लग जाता था।

रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर सविता ने फैसला लिया कि वो अपने मायके चली जायेगी। दो साल पहले सविता अपने दोनों बच्चों के साथ अपने माता-पिता के घर रोजड़ी चली गई और वहाँ रहने लगी। एक वर्ष पहले सविता ने बागली कोर्ट में अपने पति से भरण-पोषण लेने के लिए केस दर्ज किया। कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान जब आपसी झगड़े पर दोनों पक्षों को सुना गया तो पाया गया कि यदि घर में शौचालय सुविधा सुनिश्चित हो जाती है तो सविता के बहुत से समय की बचत होगी और वो घर के काम भी समय पर पूरा कर सकेगी और अपने दायित्व का निर्वहन भी गम्भीरता से कर लेगी। कोर्ट ने सविता के पति देवकरण को आदेश दिया कि दिनांक 10.01.2014 तक शौचालय निर्माण करवा के अपनी पत्नी को घर लेकर जावे। देवकरण ने अपने दाम्पत्य जीवन को सफल करने और घर की सुख शांति को बनाये रखने के लिए शौचालय निर्माण के लिए जनपद पंचायत से सम्पर्क किया। उसके द्वारा उपजी मांग पर शासन के निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत राशि रु. 4600/- का सहयोग प्रदान किया गया और देवकरण अपने घर, शौचालय और स्नानघर का निर्माण कर 10.01.2014 को सविता को घर में लेकर आया। अपने घर में शौचालय सुविधा पाकर सविता बहुत खुश है और वो अपने ग्राम की सभी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है कि निजता और मूलभूत सुविधा पाना सभी का अधिकार है और इसके लिए सभी को आवाज उठानी होगी। सविता और देवकरण को सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं।

मर्यादा अभियान में

- ग्रामों को खुले में शौच से मुक्ति के लिए गुणवत्तापूर्ण शौचालयों का निर्माण।
- व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के लिए मानक निर्धारित।
- प्रत्येक स्तर पर कारीगरों का प्रशिक्षण।
- शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करना।

एवं बच्चों को सुरक्षित, स्वस्थ और व्यवस्थित शौच का स्थान उपलब्ध होगा। इस आधारभूत सुविधा से एक ओर ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत लोगों, विशेष रूप से महिलाओं, को मर्यादित जीवन निर्वहन का अवसर प्राप्त होगा वहीं दूसरी ओर उनकी पहचान सभ्य समाज के रूप में किए जाने में

मदद मिलेगी तथा खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी। इसके अतिरिक्त वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सकेगा। साथ ही प्रदूषित होने वाले संक्रमित रोगों से ग्रामीणजनों को बचाए जाने में भी सहायता मिलेगी। स्वच्छता सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए निर्मल भारत अभियान अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय के लिए प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गयी है। साथ ही प्रोत्साहन को केवल बी.पी.एल. परिवारों तक सीमित न रखते हुए गरीब तबके के ए.पी.एल. परिवारों को भी शामिल किया है। अभियान के अंतर्गत प्रदेश में एक-एक घर पर शौचालय निर्माण की बजाए पूरे ग्राम को खुले में शौच मुक्त करने पर जोर दिया गया है।

अटल है अपना ठोस इरादा।
सफल करेंगे हम मर्यादा।।

निर्मल भारत अभियान मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश की स्थिति -

1. योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति -

क्र.	घटक	2011-12			2012-13			2013-14		
		लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
1.	बी.पी.एल. शौचालयों का निर्माण	744240	472521	63.49	776638	339282	43.68	907293	279845	30.84
2.	ए.पी.एल. शौचालयों निर्माण	716461	456180	63.67	787842	218907	27.78	992368	235738	23.76
	कुल व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय	1460701	928701	63.58	1564480	558189	35.68	1899661	515583	27.14

2. वित्तीय उपलब्धि -

क्र.	घटक	2011-12		2012-13		2013-14	
		जारी राशि	व्यय राशि	जारी राशि	व्यय राशि	जारी राशि	व्यय राशि
1.	केन्द्रांश	15076.00	16700.46	25779.96	18249.30	66038.88	31206.45
2.	राज्यांश	5609.55	6155.64	7252.27	6147.40	12650.06	8922.73
	कुल योग	20685.55	22856.1	33032.23	24396.7	78688.94	40129.18

(*Source-nba.gov.in)

● रविन्द्र स्वप्निल

स्वस्थ जीवन का सीधा संबंध स्वच्छता से है। स्वच्छता से स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन से समृद्धि आती है। व्यक्तिगत सामाजिक और पर्यावरणीय अस्वच्छता भारत सहित अन्य विकासशील देशों की बीमारियों का प्रमुख कारण है। हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण भारत में अशुद्ध पेयजल का उपयोग, मानव मल का सही ढंग से निपटान न किया जाना, पर्यावरण की, स्वयं की और भोजन की समुचित साफ-सफाई की व्यवस्था न होने से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ एक गंभीर चेतावनी हैं। समाज में होने वाले दुष्परिणामों को देखते हुए 1986 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण भारत के जीवन स्तर में सुधार लाना और महिलाओं को आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करना था। 1999 में इसे ही विस्तारित करते हुए व्यक्तिगत साफ-सफाई, घरेलू स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, कूड़ा-करकट निपटान, मलमूत्र निपटान और अपशिष्ट मल के निपटान की अवधारणा को आकार दिया और सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा, संचार, मानव संसाधन विकास, क्षमता विकास आदि को शामिल किया गया। ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत कार्य करने के साथ विद्यालय शौचालय इकाइयां, आंगनवाड़ी शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण के लिये सहायता प्रदान की गयी। सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार भी शुरू किया गया। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक स्वच्छता आंदोलन की शुरुआत हुई। समुदाय के इसी सकारात्मक दृष्टिकोण को केन्द्र में रखकर सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम बदलकर निर्मल भारत अभियान किया गया। निर्मल भारत अभियान के तहत समग्र स्वच्छता, महिलाओं की मर्यादा, ग्रामीण भारत के स्वस्थ जीवन, समृद्धि और स्वाभिमान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

मर्यादा अभियान

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की भूमिका

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं विश्व बैंक पोषित डी.पी.आई.पी. द्वारा मध्यप्रदेश के लगभग बारह हजार ग्रामों में सघन रूप में कार्य करते हुए जागरूकता एवं आजीविका सुदृढ़ीकरण के अलावा महिला सशक्तीकरण के अभूतपूर्व प्रयास हुए हैं। इन ग्रामों में सामाजिक एवं आर्थिक सकारात्मक परिवर्तन को सहज ही महसूस किया जा सकता है। महिलाओं द्वारा शौचालय की मांग करना इन ग्रामों में आम बात हो गयी है। यहां तक कि कई महिलाओं द्वारा स्वयं के व्यय से शौचालय निर्माण कर अनूठी मिसाल कायम की गयी है।

- एल.एम. बेलवाल
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मर्यादा अभियान मध्यप्रदेश के ग्रामीण समुदाय को खुले में शौच जाने से रोकने विशेषकर महिलाओं, बच्चों की मर्यादा की रक्षा के लिये घरों में शौचालय निर्माण व अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं जिसमें ग्रामीण शौच के लिये गांव के बाहर खुले में न जाकर घर में या गांव के एक निश्चित स्थान पर शौचालय में जायें जिससे एक तरफ उनकी मर्यादा, इज्जत की रक्षा हो सकेगी और महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम होंगे, वहीं दूसरी तरफ गांव में साफ-सफाई होने के साथ अपशिष्ट पदार्थ का सही प्रबन्धन भी हो सकेगा। शौचालय निर्माण न कर खुले क्षेत्र में मल त्याग करना व अपशिष्ट पदार्थों का सही प्रबन्धन न करना ग्रामीण समुदाय की दिनचर्या का हिस्सा रहा है। वर्षों से निरन्तर किये जा रहे इस तरह के मानव व्यवहार में परिवर्तन के लिये सतत् प्रयास, आवश्यक ज्ञान व शौचालय उपयोग न करने से होने वाली हानियों के बारे में अवगत कराना आवश्यक है।

उक्त प्रयासों को करने से पहले सहजकर्ता टीम को ग्रामीण समुदाय के साथ परस्पर सम्पर्क स्थापित कर विश्वास अर्जित करना होगा ऐसा नियोजित तरीके से क्रमशः प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रयास किये जाने पर ही सफलता मिल सकती है। वर्तमान में किये जा रहे प्रयासों के अन्तर्गत अधोसंरचना का निर्माण तेजी से किया जा रहा है लेकिन उपयोग की सुनिश्चितता अभी भी शतप्रतिशत निश्चित नहीं हो पा रही है। शासन की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना व गुणात्मक संरचना का निर्माण कर सतत् उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना

बडवानी जिले के पाटी विकासखण्ड में जूनाझिरी परियोजना सहयोग दल संकुल में डोंगरगांव मिशन का चयनित गांव है। गतवर्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन एल.एम. बेलवाल ने भ्रमण के दौरान शौचालय निर्माण की आवश्यकता के बारे में समुदाय के साथ चर्चा की। उस समुदाय में रेवाबाई नाम की महिला भी चर्चा को सुन रही थी। कुछ समय पश्चात् जब रेवाबाई ने यह सुना कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुनः उसके गांव में भ्रमण के लिये आ रहे हैं तो उसने सबसे पहले पाँच हजार रुपये ऋण लेकर अपने घर शौचालय का निर्माण कराया। उसके पश्चात् उसने मकान बनाया और अब बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रही है। आज रेवाबाई स्वयं तो शौचालय का उपयोग करती ही हैं साथ ही वह अन्य ग्रामवासियों को भी शौचालय निर्माण और उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं।

अभी भी हमारे लिये चुनौती है।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन एवं डी.पी.आई.पी. के अन्तर्गत संचालित सघन क्षेत्र के 25 जिलों के चयनित गांवों में ग्रामीण समुदाय विशेषकर महिलाओं को ग्राम सभा में भाग लेने के लिये और सक्रिय सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से पूर्व मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना के ग्रामों में ग्रामसभा सशक्तीकरण व सहभागिता प्रमुख कार्य था।

मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्षेत्रों में ग्रामीण समुदाय के मध्य जो विशेषकर अनुसूचित जनजाति समाज था उसमें ग्राम सभा को लेकर अत्यधिक जागरूकता आई है और उनके द्वारा ग्राम सभा की पूर्ण सहभागिता विकसित हुई। कालांतर में वर्ष 2011 के पश्चात मध्यप्रदेश डीपीआईपी के चयनित गांव जो वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सघन क्षेत्र में आते हैं, वहाँ भी ग्राम सभा सहभागिता पर विशेष बल दिया गया। परिणामस्वरूप वर्तमान में मिशन अंतर्गत सभी गांवों में ग्राम सभा सशक्तीकरण पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में महिलायें नियमित ग्राम सभाओं में भाग तो ले ही रही हैं साथ ही वे अपने मुद्दे और समस्याएं भी ग्राम सभा में रख रही हैं जहां उनका नियमानुसार निराकरण भी हो रहा है। ग्राम सभा में उनके द्वारा रखे गये मुद्दे और समस्याओं के निराकरण से पंचायत राज व्यवस्था के प्रति ग्रामीण महिला समुदाय का विश्वास बढ़ रहा है और उनका क्षमतावर्धन भी हो रहा है।

● **मनोज सिंह**

ग्राम संगठनों व उनकी उपसमितियों ने ग्राम में आवश्यकताओं व समस्याओं के विरुद्ध संगठनात्मक रूप से कार्य किया है। परिणामस्वरूप समस्याओं के समाधान में प्रगति सुनिश्चित हुई है। ग्राम संगठन उपसमितियों के पदाधिकारी समुदायों के सदस्यों के साथ एकजुट होकर समस्याओं पर चर्चा करते है, एकमत स्थापित करते हैं। उसके उपरान्त वे ग्राम सभा की बैठक में भाग लेते हैं और अपने मुद्दों को रखते हैं, उन पर चर्चा करते हैं साथ ही उन्हें पूरा कराने के लिये आग्रह करते हैं। मिशन के गांवों में मर्यादा अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक समझ और खुले में शौच जाने से होने वाली हानियों के बारे में स्वसहायता समूह और ग्राम संगठन की बैठकों के माध्यम से सतत् जानकारियां ग्रामवासियों को प्रदान की जा रही हैं। जिससे गांव में मर्यादा अभियान के प्रति सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है और गरीब से गरीब ग्रामवासी भी शौचालय बनाने के लिये तैयार हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण मिशन के गांव में प्राप्त हो रहे हैं। इस विषय पर अन्य विषयों के अलावा स्वसहायता समूहों की बैठकों एवं ग्राम संगठनों की बैठकों में लगातार चर्चाएं होती हैं। उल्लेखनीय है कि ग्राम संगठन के माध्यम से संगठित परिवार गरीब एवं अतिगरीब श्रेणी के परिवार होते हैं। अतः इन परिवार के लोगों की हितपूर्ति से ग्राम में सही लक्षित परिवारों को लाभ पहुंच रहा है। वर्तमान समय में इस दिशा से तेजी से प्रयास किये जा रहे हैं। म.प्र. राज्य आजीविका मिशन अन्तर्गत 6000 से अधिक गांवों में ग्राम संगठन गठित किये जाकर उपसमितियां गठित की गईं अधिकांश गांवों की ग्राम सभा में शौचालय की मांग की जा रही है। महत्वपूर्ण यह है कि इन मांगों का आधार शौचालय के उपयोग की समझ है। पूरी तरह आवश्यकता से परिचित होने के पश्चात ही समुदाय द्वारा मांग की जा रही है। परिणामस्वरूप ऐसे गांवों में उपयोग के साथ स्थायित्व भी सुनिश्चित हो सकेगा।

बाल केबिनेट का गठन

मध्यप्रदेश में बच्चों को स्वच्छता से जोड़ने के लिये सभी शालाओं में बाल केबिनेट का गठन किया गया है। साथ ही शालाओं में स्वच्छता के प्रति धारणीयता के लिये स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। इसी के साथ बच्चों में साबुन से हाथ धोने की प्रथा को बढ़ावा देने के लिये विश्व हाथ धुलाई दिवस 15 अक्टूबर 2014 को प्रदेश के 1.14 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के लगभग 98 लाख बच्चों ने साबुन से हाथ धोने के सामूहिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस गतिविधि को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के लिए प्रदेश के 19713 शालाओं में हाथ धुलाई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सभी विद्यालयों में शौचालयों की उपलब्धता के साथ साबुन से हाथ धुलाई प्लेटफार्म तथा निरंतर साफ-सफाई की व्यवस्था भी निर्धारित की गयी है।

विद्यालयों में बाल केबिनेट की स्थापना के लिये विद्यार्थियों को पाँच समूहों में बाँट दिया जाता है। इन्हीं समूहों में सक्रिय विद्यार्थियों की सर्वसम्मति से मंत्री पद के लिए चयन किया जाता है। कम से कम पाँच मंत्रियों में दो बालिकाएँ अवश्य होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का चयन वरिष्ठ कक्षा से किया जाता है लेकिन यह बंधनकारी नहीं है। बाल केबिनेट की अवधि एक शैक्षणिक सत्र की होगी। नए शैक्षणिक सत्र में पुनः बाल केबिनेट का गठन किया जाना है।

मंत्री, समूह और उनके कार्य

प्रधानमंत्री- प्रधानमंत्री का विभिन्न मंत्रियों एवं समूहों के साथ बैठक का आयोजन कर कार्य की प्रगति की समीक्षा करना, प्रतिमाह समूह की पाली बदलना (रोटेट करना) और कार्य आवंटित करना। शाला प्रबन्धन समिति, प्रधानाध्यापक को बाल केबिनेट के कार्यों की जानकारी देना व आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

शिक्षा मंत्री- विद्यालय में पुस्तकालय के संचालन में सहयोग करना। विद्यार्थियों के हाथ से बनी हुई वस्तुएँ आकर्षक तरीके से कक्षा में सुसज्जित करना। छात्र, छात्राओं एवं निःशक्त बच्चों को पढ़ने में सहयोग करना, सहयोगी वातावरण बनाना। सूचना पटल पर आज का विचार और चिंतन लिखना।

स्वास्थ्य मंत्री- विद्यालय में प्राथमिक उपचार

बच्चे बने स्वच्छता मित्र
जिला राजगढ़

राजगढ़ जिले में बच्चों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए एक अनूठा प्रयास किया गया। मर्यादा अभियान, जिला पंचायत तथा जिला रेडक्रास सोसायटी-राजगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में स्वच्छता जागरूकता के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन स्कूल, विकासखंड एवं जिला स्तर पर माह- अगस्त 2013 में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य था शिक्षकों-विद्यार्थियों को स्वच्छता-स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाकर क्षेत्रवार स्वच्छता मित्र तैयार करना तथा स्वच्छता मित्रों के माध्यम से परिवार, समाज, समुदाय में स्वच्छता के प्रति अपेक्षित जागरूकता लाना। जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूलों व हाईस्कूलों में (कक्षा 9 से 12 तक) अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए- स्वच्छता, स्वास्थ्य व पर्यावरण पर आधारित विषयों पर विभिन्न प्रतियोगितायें जैसे चित्रकला, भाषण, नारालेखन, काव्यपाठ, प्रश्नमंच और लघु नाटिका प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं। हायर सेकेण्डरी स्कूलों में दो दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 06 व 07 अगस्त 2013 को आयोजित किया गया। पहले दिन- प्रतियोगिताएँ और दूसरे दिन विद्यालय के सभी शिक्षकों, पालकों और विद्यार्थियों सहित गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों व पत्रकारों की उपस्थिति में पुरस्कार वितरण समारोह तथा स्वच्छता पर संगोष्ठी आयोजित कर स्वच्छता हेतु जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली विद्यार्थियों ने शिक्षकों के मार्गदर्शन में बड़े उत्साह से भाग लिया। जिले भर के 200 से अधिक सरकारी और गैर-सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में यह कार्यक्रम एक साथ संपन्न हुआ।

इन दिनों में स्वच्छता के प्रति चेतना लाने के लिए एक सकारात्मक माहौल बना। शाला स्तर पर प्रत्येक प्रतियोगिता में चयनित/विजेता विद्यार्थियों के लिए विकासखंड स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं को आयोजन किया गया। दिनांक 07 व 08 अगस्त 2013 को सभी विकासखंडों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम-मुख्यालय के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूलों में कराया गया। विकासखंड के सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों से प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों की हिस्सेदारी हुई। निर्णायक मंडल बनाया गया। इसके उपरांत जिला स्तरीय प्रतियोगिता सह स्वच्छता सेमीनार में भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया। जिले भर के 250 से अधिक विद्यार्थियों और शिक्षकों की जिला स्तरीय मर्यादा पर्व में भागीदारी हुई। जिला कलेक्टर ने विद्यार्थियों से अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने-स्वच्छ शौचालय बनाने और उनका नियमित उपयोग करने और स्वच्छता को व्यवहार में लाने के लिए स्वच्छता मित्र की भूमिका में काम करने का अनुरोध किया।

(फर्स्ट एड) बाक्स रखना और आवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाना। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई का ध्यान रखना, साबुन से हाथ धुलाई की निगरानी करना।

जल एवं स्वच्छता मंत्री - पीने के पानी की व्यवस्था बच्चों की पहुँच में रखकर सभी बच्चों को स्वच्छता के साथ उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। मध्याह्न भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धुलाई के पाँच चरणों को सिखाना तथा प्रत्येक विद्यार्थी के द्वारा अनुसरण करवाना। भोजन के पूर्व और पश्चात् दस मिनिट का विशेष समय साबुन से हाथ धोने के लिए उपयोग करना। शौचालय, मूत्रालय स्थान तथा हाथ धुलाई इकाई में पानी की उपलब्धता और स्वच्छता बनाये रखना, शौचालयों को उपयोग योग्य बनाये रखने की जानकारी बच्चों को देना तथा और उसका करवाना। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के पश्चात् झूठन और गन्दे पानी की निकासी के उचित निपटान में सहयोग प्रदान करना। विद्यालय में व्यक्तिगत स्वच्छता का विद्यार्थियों द्वारा पालन करवाने के लिए ध्यान रखना और इसकी निगरानी में शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना।

पर्यावरण मंत्री- पर्यावरण जागरूकता में बच्चों की सहभागिता करवाना। विद्यालय परिसर को स्वच्छ, सुरम्य बनाने के लिए बच्चों से कार्य करवाना। विद्यालय परिसर में अधिक से अधिक पौधरोपण करना तथा बच्चों द्वारा देखरेख करवाना।

खेल एवं सांस्कृतिक मंत्री- प्रतिदिन प्रार्थना और राष्ट्रगान में सहयोग करना। शिक्षकों को पीटी और योगासन में सहयोग करना। विद्यालय में यथासम्भव खेल और कला को प्रोत्साहन देते हुए अधिक से अधिक बच्चों को सहभागिता के लिए प्रेरित करना। विद्यालय में प्रतिमाह गोष्ठी, भाषण, चित्रकला आदि प्रतियोगिता में अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सहभागिता करना।

● **नागेश्वर पाटीदार**

मध्यप्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता में बैंकिंग एवं औद्योगिक घरानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) कोष से 1.14 लाख ग्रामीण शालाओं में स्वच्छता सुविधाओं को सुचारु रूप से क्रियाशील रखने एवं उनके संचालन/संधारण हेतु जोड़ा जा रहा है। इसके तहत समीपस्थ बैंकिंग एवं औद्योगिक घरानों द्वारा कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) कोष से शाला शौचालयों में नियमित स्वच्छ पानी की उपलब्धता एवं वार्षिक संचालन एवं संधारण के अलावा निरन्तर सफाई, मरम्मत एवं सफाई सामग्री का प्रबंधन किया जावेगा। वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक ने 75 एवं बैंक ऑफ इंडिया ने 3 शालाओं में कार्य की शुरुआत कर दी है।

हेल्प अ चाइल्ड रीच फाईव

साबुन से हाथ धुलाई के लिए

कारपोरेट जगत ने बढ़ाए अपने सहयोग के हाथ

स्वच्छता एवं सफाई के अभाव में दुनिया भर में कई लाख बच्चे बीमारियों का सामना करते है। इनमें से कई बीमारियां जानलेवा होती हैं। इन बीमारियों में खासतौर पर डायरिया का प्रभाव ज्यादा पाया जाता है। हिंदुस्तान यूनीलीवर लिमिटेड ने मध्यप्रदेश के जिला पंचायत छिंदवाड़ा के सहयोग से हेल्प अ चाइल्ड रीच फाईव इस अभिनव अभियान की शुरुआत जिले के परासिया जनपद के 6 गांवों में वर्ष 2013 से की है। साबुन से हाथ धोने की आदत को लोगों द्वारा अपनाने तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में डायरिया जैसी बीमारियों को कम कराने के उद्देश्य से शुरू किये गये इस उपक्रम को हेल्प अ चाइल्ड रीच फाईव का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री काजोल द्वारा विशेष सहयोग किया जा रहा है एवं एनडीटीवी एवं सोनी टीवी के प्रसिद्ध कार्यक्रम 'कौन बनेगा करोड़पति' के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार मिला है।

स्कूल एवं आंगनवाड़ियों में 'पांच की पाठशाला' कार्यक्रम के तहत 'साबुन का इस्तेमाल बस पाँच बार' इस नारे को अपनाया गया है। इन पांच अवसरों को बच्चों के खास पाँच दोस्तों से जोड़ा गया है ये दोस्त हैं - धम, ढिशुम, धमाका, भालू और तारा, जो हर खास मौके पर साबुन से हाथ धोने की याद दिलाते हैं खासतौर पर शौच के बाद व मध्याह्न भोजन से पहले साबुन से हाथ धोने की आदत पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

स्वच्छता के व्यवहार में बदलाव लाने हेतु सफाई के उपर फिल्म दिखाकर, पोस्टर, फ्लिपचार्ट, स्टीकर्स, डांस, आदि के द्वारा हाथ धोने के तरीकों को रोचक बनाया गया। प्रेरकों की टीम हर रोज एक गांव में भेंट करती तथा गांव के लोगों से चर्चा कर उन्हें साबुन से हाथ धोने के तरीकों एवं उसके फायदों के बारे में बताती है। परासिया जनपद पंचायत के 6 गांव में 600 से ज्यादा स्कूली बच्चों, 180 आंगनवाड़ी बच्चों, 325 पांच साल से कम उम्र के बच्चों की माताएं एवं 25 से ज्यादा नवजात शिशुओं की माताओं को लाभ मिला है। इस कार्यक्रम के आधार पर जो ठोस बातें सामने आई वह नवीन प्रकार की सफलता दर्शाती हैं जिसमें

- घरों में हाथ धुलाई के लिए टिपीटाप (स्थानीय सामग्री से बना हाथ धुलाई यंत्र) बनाए गये हैं एवं उसका इस्तेमाल हो रहा है।
- माताएं घरों में साबुन से ही हाथ सफाई कर रही हैं।
- स्कूली बच्चों में साबुन से हाथ धोना आदत बन गयी है।

स्वच्छ, निर्मल, उज्ज्वल एवं सजीव विद्यालय पुरस्कार

मध्यप्रदेश में निर्मल भारत अभियान और राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए स्वच्छ, निर्मल, उज्ज्वल और सजीव विद्यालय पुरस्कार प्रदान किये जा रहे हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कारों का उद्देश्य जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर ऐसे विशिष्ट विद्यालयों को सम्मानित करना है जो शाला स्वच्छता संबंधी विविध आयामों को अपनाएं और अन्य विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्त्रोत बनें। इन पुरस्कारों का लक्ष्य है कि शाला स्वच्छता के प्रति विद्यार्थी और शिक्षक स्वयं विद्यालय को स्वच्छ रखने के प्रति स्व-प्रेरित हो आगे बढ़ें।

मध्यप्रदेश में समस्त प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में बाल केबिनेट के गठन के पश्चात सहपाठी नेतृत्व के माध्यम से विद्यालयों में स्वच्छता प्रबंधन व रख-रखाव में बेहतर परिणाम मिले हैं। विद्यालयों को मॉडल के रूप में विकसित भी किया जा रहा है। पेयजल की उपलब्धता व रख-रखाव, शाला शौचालय का उपयोग व रख-रखाव, मध्याह्न भोजन के पूर्व साबुन से हाथ धोना, बच्चों की व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। प्रदेश में कई विद्यालय इस दिशा में अग्रणी हुए हैं और प्रेरणा स्त्रोत बने हैं।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना के तहत विकासखण्ड स्तर पर 'निर्मल विद्यालय पुरस्कार', जिले स्तर पर 'उज्ज्वल विद्यालय पुरस्कार' दिया जाता है। पुरस्कार प्राप्त विद्यालयों द्वारा शाला स्वच्छता के मापदण्डों को पूरा करते रहने पर व्यवहार में लाने के लिए दो वर्ष पश्चात सजीव विद्यालय पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। विद्यालय द्वारा शालेय स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में स्व-मूल्यांकन प्रपत्र भरने के उपरान्त सभी बिन्दुओं पर सकारात्मक परिणाम देखे जाने पर संबंधित विद्यालय को आवेदन की पात्रता है। पुरस्कार की चयन प्रक्रिया में जिला तथा संभाग स्तरीय अवार्ड कमेटी का गठन कर उनके द्वारा मूल्यांकन के आधार पर स्वच्छ विद्यालय का चयन किया जाता है। पुरस्कृत विद्यालय से क्षेत्र के अन्य विद्यालयों को प्रेरणा मिलेगी तथा बाल केबिनेट के माध्यम से सहपाठी नेतृत्व करने वाले बच्चों को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के अधिकार 2009 के अनुसार शाला के समग्र विकास की अवधारणा का सफलतापूर्वक संचालन करना। निर्मल भारत अभियान (समग्र स्वच्छता अभियान) व मध्याह्न भोजन की प्रक्रिया के मध्य बेहतर संयोजन स्थापित करना। स्वच्छता संबंधित आदतें विकसित करने के लिए शालाओं को प्रोत्साहित करना।

● **मोहन सिंह पाल**

विद्यालय पुरस्कार के प्रकार

- **निर्मल विद्यालय पुरस्कार** के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि रुपये 5,000/- नगद एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक जिले के ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं से एक-एक शाला को पुरस्कृत किया जाएगा।
- **उज्ज्वल विद्यालय पुरस्कार** के तहत प्रोत्साहन राशि रु. 15,000/- नगद एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जाएगा। यह पुरस्कार जिले में एक विद्यालय को दिया जाएगा।
- **सजीव विद्यालय पुरस्कार -** जो विद्यालय उज्ज्वल विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित होंगे और जो दो वर्ष तक निरंतर स्वच्छता के मापदण्ड पूर्ण करते रहेंगे, उन्हें स्थायित्व के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार के तहत प्रोत्साहन राशि रुपये 5,000/- एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जावेगा।
- **आवेदन के लिए पात्रता** : राज्य की सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं।

आंगनवाड़ी स्वच्छता

बच्चे नये विचारों को जल्दी ग्रहण करते हैं और उसे लागू भी करते हैं। जीवन के आरम्भकाल में स्वच्छता एवं साफ-सफाई तथा शौचालय के उपयोग की बच्चों में आदत डल जाने पर वे जीवन भर इसका पालन करेंगे। अतः आंगनवाड़ी स्वच्छता के द्वारा बच्चों के विकास के साथ स्वच्छता अभियान के उद्देश्य को सार्थक किया जा सकता है।

आंगनवाड़ी स्वच्छता बच्चों और उनके परिवारों को स्वस्थ रखने का प्रयास है। इसके माध्यम से बच्चों में स्वच्छता संबंधी बीमारियाँ कम होती हैं। बच्चों में प्रारंभिक विकास के साथ मेल-जोल की भावना विकसित होती है जहाँ सभी बच्चे सुरक्षित, स्वस्थ एवं बालमित्र परिस्थिति में रहकर अपना विकास करते हैं। प्रदेश के समस्त शासकीय भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण किया जा रहा है। ग्राम पंचायत के माध्यम से निजी भवनों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में, मकान मालिक को निर्धारित डिजाइन के अनुसार शौचालय बनाने के लिए कहा गया है। यदि निर्धारित समय में मकान मालिक के द्वारा शौचालय निर्माण नहीं कराया जाता है तब आंगनवाड़ी केन्द्र को दूसरे भवन में स्थानांतरित किया जायेगा। अतः आंगनवाड़ी केन्द्र संचालन के लिए भवन किराए पर लिया जाये जहां बच्चों के लिए शौचालय सुविधा हो। आंगनवाड़ी केन्द्र को साफ-सुथरा और स्वच्छ रखा जाना चाहिये जिससे वहां का वातावरण साफ और स्वच्छ रहे। आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध हवा के आने-जाने तथा पर्याप्त रोशनी के लिए खिड़कियां आदि होना चाहिये। आंगनवाड़ी केन्द्र में साफ-सफाई तथा उपयोग के लिए पानी की व्यवस्था की जाये। ग्राम पंचायत में पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत उपलब्ध 5 प्रतिशत राशि से सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जा रही है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसकी निगरानी संभव है।

अतः आंगनवाड़ी केन्द्र पर मंगल दिवस के दौरान आने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं को भी स्वच्छता शिक्षा नियमित रूप से प्रदान की जाती है। आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने से पूर्व रसोइयों द्वारा अच्छी तरह साबुन से हाथ धोना अनिवार्य है। आंगनवाड़ी में बच्चों को भोजन प्रदाय करने से पूर्व साबुन से अच्छी तरह हाथ धुलाये जाते हैं।

नियमित साफ-सफाई की निगरानी ग्राम सभा, स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है।

● **हेमलता हुरमाड़े**

स्वच्छता दूत

मैदानी स्वच्छता

कार्यकर्ता

व्यवहार परिवर्तन पर आधारित संचार की गतिविधियों में सर्वाधिक प्रभावी गतिविधि आपसी बातचीत होती है। इसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति से सीधे संवाद कर उसके आचरण में बदलाव किए जाने का प्रयास किया जाता है। इसमें ग्रामीण जनता से जुड़े साफ-सफाई के प्रत्येक पहलू को समझकर उसमें उचित बदलाव लाने पर खास जोर दिया जाता है।

इस आपसी बातचीत गतिविधि को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में तीव्रगति से चलाने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि मैदानी स्तर पर स्वच्छता के कार्य में रुचि रखने वाले युवक-युवतियों को स्वच्छता दूत के रूप में ग्राम पंचायतें चयनित करें तथा उनका उपयोग करें।

प्रथम चरण में चयनित ग्राम पंचायतों में प्रत्येक 150 परिवार पर एक स्वच्छता दूत को नियुक्त किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। स्वच्छता दूत अपने कार्य क्षेत्र को सफाई अभियान और 'खुले में शौच से मुक्त' करने की दिशा में इन सभी का सहयोग ले सकते हैं। निर्मल भारत अभियान का लक्ष्य लोगों द्वारा 'खुले में शौच' को नकराने की प्रवृत्ति विकसित करना है। सभी परिवारों द्वारा पारिवारिक शौचालय का निर्माण तथा उपयोग, बच्चों के मल को सुरक्षित निपटान, साबुन से हाथ धोने और पेयजल को सुरक्षित ढंग से भरने तथा संग्रहित करने का व्यवहार अपनाना है। यह सिफारिश, आपसी बातचीत और सहयोगी सामाजिक गतिशीलता से संभव है। अतः स्वच्छता दूत में लोगों को प्रेरित करने की क्षमता होना चाहिए। स्वच्छता दूत का कार्य पूर्णकालिक होगा। निर्मल भारत अभियान मैदानी स्वच्छता कार्यकर्ताओं, स्वच्छता दूतों का प्राथमिक लक्ष्य बसाहटों और पंचायती राज संस्थाओं में सामूहिक स्व-आकलन और गतिशीलता के जरिए सामूहिकता के साथ व्यवहार के बदलावों में सहयोग करना है।

स्वच्छता दूत रणनीति के क्रियान्वयन में पंचायतीराज संस्थाओं की भूमिका

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की भूमिका :

- स्वच्छता दूतों का ग्राम सभाओं के माध्यम से चयन करवाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना तथा प्रगति का नियमित अनुश्रवण करवाना।
- चयनित स्वच्छता दूत जिस संकुल अंतर्गत आता है उस संकुल प्रभारी को पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को देने के लिए अधिकृत करना।

जिला समन्वयक, निर्मल भारत अभियान की भूमिका -

- स्वच्छता दूतों का ग्राम सभाओं के माध्यम से चयन करवाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के हस्ताक्षर से जारी करवाना।
- चयनित स्वच्छता दूतों को निर्धारित प्रशिक्षण माड्यूल अनुसार गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण राज्य स्तर से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से आयोजित करवाना।
- स्वच्छता दूतों के प्रोत्साहन के लिए प्रतिवर्ष स्वचछता दूत उत्सव का आयोजन करना। जिसमें कलेक्टर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से स्वच्छता दूतों को मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन करवाना।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की भूमिका-

- स्वच्छता दूतों का ग्राम सभाओं के माध्यम से चयन करवाना।
- स्वच्छता दूतों के साथ नियमित समीक्षा तथा बैठकों का आयोजन कर मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना।

विकासखण्ड समन्वयक निर्मल भारत अभियान की भूमिका -

- स्वच्छता दूतों के साथ नियमित समीक्षा तथा बैठकों का आयोजन कर मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करना।
- प्रत्येक 15 दिवस में संकुल सहयोगी दल प्रभारी के द्वारा स्वच्छता दूतों के सहयोगी पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण की समीक्षा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत से करवाना।

संकुल सहयोगी दल प्रभारी 'सी.एफ.टी.' प्रभारी की भूमिका -

- स्वच्छता दूतों का अपने प्रभार वाली ग्राम सभाओं के माध्यम से चयन करवाना।
- प्रतिमाह प्रथम 7 दिवस के अंदर भ्रमण कर पर्यवेक्षण चेकलिस्ट अद्यतन कर, विकासखण्ड समन्वयक को प्रदान करना।

सरपंचों तथा सचिवों की भूमिका -

- ग्राम पंचायत, ग्राम सभा के माध्यम से स्वच्छता दूतों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर सुनिश्चित करना।
- स्वच्छता दूत की सूची-जिला तथा जनपद पंचायत को प्रस्तुत करना।

महिला
स्वच्छता दूत बदलाव का बेहतर पक्ष

स्वच्छता की दिशा में प्रदेश में जागरूकता और पहुंच बढ़ी है। मध्यप्रदेश में यदि समानता और लक्ष्यों के लिहाज से प्रगति करना है तो उसे गरीबों और दूरदराज के इलाकों में स्वच्छता की समुचित व्यवस्था करनी ही होगी। इसी तरह, खुले में शौच का सबसे बुरा असर महिलाओं पर पड़ता है। अस्वच्छता और शौच के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से उनकी मर्यादा और एकांत की समस्या तो रहती ही है साथ ही डायरिया जैसे रोगों से बच्चों की मृत्यु तक की संभावनाएं भी बनी रहती हैं। खुले में शौच के लिए महिलाओं को अंधेरे का इंतजार करना होता है (मल-मूत्र को रोककर रखना होता है)। इसके अलावा छेड़छाड़, बलात्कार और प्रताड़ना का जोखिम भी ज्यादा रहता है। इससे उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचती है। माहवारी के दौरान रखी जाने वाली साफ-सफाई का भी वह ध्यान नहीं रख पातीं। निश्चित ही पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को शौचालयों की जरूरत कहीं ज्यादा है। इतना ही नहीं, महिलाओं के जुनून, प्रतिबद्धता और नेतृत्व क्षमता के जरिए स्वच्छता के प्रति जरूरी सामूहिक व्यवहार में बदलाव लाए जा सकते हैं। इस वजह से निर्मल भारत अभियान में महिलाएं और उनके आंदोलन तथा संगठनों की अहम भूमिका है। स्वच्छता दूत की रणनीति का प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के साथ ही सबसे वंचित एवं अति जोखिम वाले समुदायों को जोड़ने की है अतः महिलाओं और सबसे वंचित तबकों के समुदाय को स्वच्छता दूत के तौर पर उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। स्वच्छता दूत को वंचित समुदाय के लोगों पर खास ध्यान देना होगा। उन्हें विशेष मदद देनी होगी ताकि उनके क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा दिया जा सके। खुले में शौच की प्रथा को समाप्त किया जा सके और उन्हें बेहतर शौचालय एवं स्वच्छता सुविधाएं मिल सकें। यह कार्य महिलाएं पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकती हैं। इसलिए अभियान में महिला स्वच्छता दूत बनाने को लेकर बल दिया गया है।

● प्रियंका पाठक

ठोस और तरल कचरे का निपटान

मध्यप्रदेश में निर्मल भारत अभियान अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंध के कार्य चरणबद्ध तरीके से किये जा रहे हैं। सबसे पहले 10 हजार से अधिक आबादी वाली 31 ग्राम-पंचायतों में ठोस एवं अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य सघन आबादी होने से विशेषज्ञों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा प्रारंभ किया गया है। राज्य के 18 जिलों की चयनित 31 ग्राम-पंचायत में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से यह कार्यक्रम सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। गाँव की बेहतरी के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है।

इस महत्वपूर्ण कार्य में गाँव के सभी लोगों का योगदान भी अति जरूरी है। चयनित ग्राम-पंचायत में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में समुदाय में जन-जागृति के लिये व्यापक प्रचार-प्रसार मुहिम भी शुरू कर दी गयी है। इस बारे में ग्रामीण समुदाय संचालनकर्ताओं को भी व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन में अनुभवी स्वयंसेवी संस्थाओं और निजी एजेंसी तथा फर्मों की भागीदारी भी शामिल है।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तथा ग्राम की स्वच्छता- मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के घरों और अन्य स्त्रोतों से प्रतिदिन ठोस और तरल रूप में काफी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न होता है जिसके कारण कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं जो लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती हैं। अभियान अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्टों के निपटान के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष रूप से सहायता दी जा रही है।

इसके अंतर्गत 150 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 7.00 लाख, 300 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 12.00 लाख, 500 परिवार वाली ग्राम पंचायतों को रु. 15.00 लाख तथा 500 से अधिक परिवारों वाली ग्राम पंचायतों को रु. 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है। साथ ही मनरेगा से कन्वर्जेंस करके प्रति एक हजार जनसंख्या पर रुपये 5.00 लाख और प्राप्त होते हैं।

इस वर्ष निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत जो ग्राम निर्मल ग्राम हो चुके हैं अथवा प्रस्तावित हैं ऐसे ग्रामों के लिए वर्ष 2013-14 में ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कार्य योजना बनायी गयी। अन्य ग्रामों में आगामी वर्षों में यह कार्य कराया जाएगा।

इस योजना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कचरा संग्रहण, परिवहन एवं छटाई कार्य करने के लिये शेड निर्माण और खाद के लिए गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। तरल अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये नालियों का निर्माण, सोख्ता गड्ढों, आक्सीडेशन पॉण्ड आदि के निर्माण किये जा रहे हैं।

● राजेश कुमार शर्मा

प्रबंधन के लाभ

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से गांव का पर्यावरण स्वच्छ और सुन्दर बनाया जा सकता है। स्वच्छ गांव होने से कई बीमारियां जो दूषित जल और अस्वच्छता के कारण पैदा होती हैं, उनकी रोकथाम हो सकती है। स्वच्छ और स्वस्थ ग्राम में जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया जा सकता है।

ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति

किसी भी ग्राम की स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अहम भूमिका है ग्राम सभा स्वस्थ ग्राम तदर्थ समिति की। इसका चयन लोकतंत्र की प्रारम्भिक इकाई ग्राम सभा में किया जाता है। 12 से 20 सदस्यीय इस समिति में 50 प्रतिशत महिला सदस्यों की अनिवार्यता है। यानि की स्वच्छता, साफ-सफाई और स्वास्थ्य को लेकर आधी आबादी की भागीदारी और सहभागिता ऐसी कि इसके साथ पूरा परिवार जुड़ा हो। इससे स्वच्छता की ओर बढ़ते कदमों के उद्देश्य सफल होने की संभावना प्रबल है। इन समितियों का गठन सम्पूर्ण स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा आंगनवाड़ी के कार्यक्रमों को सम्पादित करने के लिए किया है। यह समितियां ग्राम की स्वच्छता की योजना बनाती हैं। ग्राम पंचायत के साथ पेयजल की सुरक्षित व्यवस्था तथा ग्राम के स्वच्छता दूतों का चयन करती है। स्वच्छता दूतों के चयन के अलावा कार्यों को दिशा देने के साथ किये जा रहे कार्यों पर निगरानी भी रखती है। अतः ग्राम सभा की यह समिति स्वच्छता अभियान की अहम कड़ी है जो स्वच्छता कार्यक्रम की आवश्यकता, प्रेरणा और परिणाम में सार्थक भूमिका निभाती है। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज हो वह इस समिति का सदस्य रह सकता है। समिति में कम से कम एक सदस्य, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग से होना अनिवार्य है।

समिति में ग्राम की महिला पंच, आशा कार्यकर्ता, स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उप स्वास्थ्य केन्द्र की ए.एन.एम., एक मातृ सहयोगिनी समिति की अध्यक्ष, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष तथा क्षेत्र का

हैण्डपंप मैकेनिक, सहायक मैकेनिक समिति के पदेन सदस्य रहते हैं। समिति का अध्यक्ष किसी महिला सदस्य को ही बनाये जाने की बाध्यता है।

समिति का सचिव : समिति के प्रबंधन कार्य समिति के सचिव द्वारा किये जाते हैं। ग्राम पंचायत का सचिव ही समिति का सचिव होगा और स्थानीय आँगनवाड़ी केन्द्र की आँगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन आशा कार्यकर्ता सहायक सचिव होती है जो सचिव की समिति के प्रबंधन कार्य में सहायता करती है। समिति के तीन योजनावार खाते संधारित किये जाते हैं। पहला खाता "जल स्वच्छता अभियान खाता" कहलाता है जिसमें जल एवं स्वच्छता से संबंधित विधियों का लेखा जोखा रखा जाता है। यह खाता समिति के अध्यक्ष तथा ग्राम पंचायत के सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जाता है। समिति का दूसरा खाता "स्वास्थ्य विधि खाता" कहलाता है जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की संबंधित विधियों का लेखा जोखा होता है। यह खाता समिति अध्यक्ष और आशा कार्यकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा संचालित किया जाता है। समिति का तृतीय खाता "पोषाहार खाता" कहलाता है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विधियों का हिसाब रखा जाता है। इस खाते का संचालन समिति अध्यक्ष एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है।

कैसे ये समितियां कार्य करती हैं : प्रत्येक माह समिति की बैठक आयोजित होती है बैठक की गणपूर्ति इसके कुल सदस्यों के आधी संख्या से पूर्ण होती है। बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज की जाती है जिसमें सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं।

संबंधित विभागों द्वारा समिति के सदस्यों को उनकी भूमिका, कृत्य तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है।

कार्य : पेयजल आपूर्ति एवं सम्पूर्ण स्वच्छता संबंधी कार्य में सामुदायिक सहभागिता को सुनिश्चित करने, क्रियान्वयन करने और सहभागी अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य सुनिश्चित करती है।

- ग्राम स्वच्छता कार्य योजना तैयार करना
- ग्राम पेयजल सुरक्षा एवं गुणवत्ता कार्य योजना तैयार करना।
- ग्राम पंचायत के साथ समन्वय कर जल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों को सम्पादित करना।
- ग्राम के स्वच्छता दूतों का चयन, निर्देश एवं मूल्यांकन करना।

● ऊषा

गाँव की गाथा

स्वेच्छा से स्वच्छता

ग्राम पंचायत बिच्छापुर, हरदा जिले के टिमरनी विकासखण्ड में स्थित है। जिला मुख्यालय से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर बसे बिच्छापुर की कुल जनसंख्या 2360 है। कुल परिवार 477 हैं, जिसमें 278 एपीएल तथा 199 बीपीएल परिवार शामिल हैं।

स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले में मई 2014 से "स्वेच्छा से स्वच्छता" की थीम पर आधारित ऑपरेशन मलयुद्ध का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत में किया गया, जिसके तहत ग्राम पंचायत के 152 परिवारों में शौचालय का निर्माण किया गया और ग्राम को खुले में शौच से मुक्त कराया गया।

इस कार्य को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए सीएलटीएस गतिविधि के तहत जिला स्तर पर 05 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया तथा प्रतिभागियों के समूह बनाकर जिला स्तर से ट्रिगरिंग एवं फालोअप के लिये ग्राम में भेजे गये, जिन्होंने ग्रामों में जाकर गतिविधियों का सुचारु क्रियान्वयन किया। इन गतिविधियों के दौरान ग्राम में ऊर्जावान एवं इच्छुक, स्वैच्छिक कार्यकताओं का दल बनाकर खुले में शौच करने वाले स्थानों पर नियमित रूप से भ्रमण कर ग्रामीणों को खुले में शौच बंदी के लिए निरंतर प्रेरित किया गया। इस कार्य में महिलाओं एवं बच्चों के समूह बनाकर उनका भी सक्रिय सहयोग लिया गया। महिलाओं के समूह को महिला कमाण्डो तथा बच्चों के समूह को बाल कमाण्डो के रूप में पहचान दी गई। ये सुबह, शाम निगरानी दल के सदस्यों के साथ सीटी बजाते हुए खुले में शौच करने वाले स्थानों पर घूमते थे।

ग्राम पंचायत के सरपंच भी निगरानी दल के सदस्यों के साथ निरंतर सुबह, शाम भ्रमण करते रहे। समय-समय पर जिला स्तर से भी दल के सदस्यों एवं ग्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गणेश शंकर मिश्रा द्वारा ग्राम का औचक निरीक्षण एवं भ्रमण किया गया।

इन नियमित गतिविधियों के चलते ग्राम के सभी परिवारों में शौचालय का निर्माण। खुले में शौच से मुक्त होने के पश्चात् ग्राम सभा में खुले में शौच मुक्ति का प्रस्ताव पारित करने के लिये 25 मई 2014 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया तथा भविष्य में भी गांव खुले में शौच से मुक्त हो, इसके लिये ग्राम पंचायत द्वारा नियम बनाये गये।

ग्राम पंचायत द्वारा अपनी इस उपलब्धि को "स्वच्छता विजय उत्सव" के रूप में मनाया गया। 05 जून 2014 को आयोजित इस उत्सव में मुख्य अतिथि, हरदा जिले के प्रभारी मंत्री, श्री सरताज सिंह के मुख्य आतिथ्य में अध्यक्ष जिला पंचायत डॉ. श्रीमती यामिनी मानकर, हरदा विधायक डॉ. आर.के. दोगने, विधायक टिमरनी श्री संजय शाह तथा अन्य जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों द्वारा उपस्थित होकर ग्रामीणों का उत्साहवर्धन किया गया। खुले में शौच मुक्ति के लिये ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गये नियमों का भी वाचन किया गया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बिच्छापुर के सरपंच श्री बलराम डूडी का योगदान सराहनीय रहा। इस प्रकार ट्रिगरिंग दल के सदस्यों को प्रोत्साहन राशि रुपये 4000 तथा प्रशंसा पत्र प्रदान किये गये, निगरानी दल के सदस्यों को भी समारोह में सम्मानित किया गया।

● **नागेश्वर पाटीदार**

INVEST MADHYA PRADESH
GLOBAL INVESTORS SUMMIT
Brilliant Convention Centre, Indore

मध्यप्रदेश देश की

अर्थव्यवस्था का ड्राइविंग फोर्स

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ड्राइविंग फोर्स बन सकता है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री इस दिशा में उम्दा प्रयास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि हर राज्य अपना ग्लोबल टेलेंट पूल बनाये। हर राज्य के नागरिक दुनिया में कहीं भी हो उनका ग्लोबल नेटवर्क बनायें और उनके अनुभव और प्रतिभा का उपयोग देश के विकास के लिये करें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के सामने नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। निर्माण, कृषि और सेवा तीनों क्षेत्रों को समान महत्व देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना होगा। मेक इन इंडिया से हमने विश्व को विश्वास दिलाया है कि भारत में अपार संभावनाएँ हैं, भारत को केवल बाजार नहीं समझें। भारत विकास करेगा तो इसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी तभी बाजार बढ़ेगा इसलिए भारत में निवेश करना जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण भारत का कौशल के अनुसार मेपिंग किया जाये तो रोजगार की समस्या नहीं होगी। पब्लिक-प्रायवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ड्रायविंग इंस्टीट्यूट स्थापित कर बेहतर गुणवत्ता के वाहन चालक उपलब्ध करवाये जा सकते हैं। अभी शैक्षिक जगत देश के विकास की योजना में शामिल नहीं हुआ है, इससे नुकसान हुआ है। जरूरी है कि शैक्षिक जगत, शासकीय विशेषज्ञ, वित्तीय विशेषज्ञ और निवेशक चारों मिलकर विचार करें कि देश को आगे बढ़ाने के लिये क्या जरूरी है। यह चारों क्षेत्र विकास के लिये मिलकर काम करें।

मध्यप्रदेश के विकास के बारे में पूरे विश्व को पता चले : श्री मोदी ने मध्यप्रदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि सही नेतृत्व, स्पष्ट नीति, साफ नीयत, नेक इरादे, निर्धारित दिशा और मकसद पाने का इरादा हो तो बीमारू राज्य सबसे अधिक प्रगति करने वाला राज्य बन सकता है। यह मुख्यमंत्री श्री चौहान और मध्यप्रदेश की टीम ने कर दिखाया है। पूरे विश्व को पता चलना चाहिये कि मध्यप्रदेश ने किस तरह से सर्वाधिक विकास दर प्राप्त की है। अधोसंरचना, सिंचाई, कृषि, बिजली, सड़क के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में जो उपलब्धि हासिल की है वे विकास की महत्वपूर्ण धरोहर है। मध्यप्रदेश इसके लिये अभिनंदन का अधिकारी है। केन्द्र ने मेक इन इंडिया के तहत देश में रक्षा उत्पादों के निर्माण की बात की और मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने रक्षा उत्पाद के निर्माण की नीति बना ली है। यह देश के रक्षा उत्पादों के लिये महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्र ने डिजिटल इंडिया की घोषणा की और मध्यप्रदेश में दो इलेक्ट्रॉनिक मेन्युफैक्चरिंग सेंटर का शिलान्यास हो गया, यह बताता है कि केन्द्र

और राज्य सरकार किस तरह तेजी से मिलकर प्रगति कर सकते हैं। केन्द्र ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना बनाई और मध्यप्रदेश ने बहुत कम समय में इसके 36 लाख खाते खोल दिये और केन्द्र सरकार से आगे बढ़ाकर इसमें परिवार को इकाई के रूप में जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिये उपलब्ध भूमि, मानव संसाधन, सुशासन मध्यप्रदेश में निवेश का सुनहरा अवसर उपलब्ध करवाते हैं। इतनी क्षमता वाला मध्यप्रदेश विकास के लिये अनुकूलता प्रदान करता है। निर्माण के ऐसे क्षेत्र को प्राथमिकता दें जिनमें निर्यात की संभावनाएँ हों। मध्यप्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने कृषि विकास के साथ उद्योगों के लिये अधोसंरचना तैयार की है। कृषि क्षेत्र में अब मूल्य संवर्धन और कृषि अधोसंरचना पर ध्यान देना होगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश ऐसा प्रदेश है, जो देश की कुल जैविक खेती में 40 प्रतिशत का योगदान कर रहा है। जैविक कृषि उत्पादों का वैश्विक बाजार है। कृषि के साथ मध्यप्रदेश वैश्विक बाजार के लिये जैविक कृषि आधारित उत्पाद तैयार करे।

मध्यप्रदेश ने डिजिटल इंडिया के लिये काम शुरू किया : इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज देश में एक नये विश्वास का संचार हुआ है। विकास दर बढ़ने लगी है। प्रधानमंत्रीजी ने देश को आशा और विश्वास से भर दिया है। पॉलिसी पेरेलेसिस का दौर खत्म हो गया है। देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश में पिछले सात साल से विकास दर दहाई अंक में है। आज देश में सर्वाधिक विकास दर 11.08 प्रतिशत मध्यप्रदेश की है। मध्यप्रदेश द्वारा 24.99 प्रतिशत की कृषि विकास दर हासिल करने में प्रदेश के किसानों और जनता की महत्वपूर्ण भूमिका है। अधोसंरचना विकास कर मध्यप्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकाला है।

अब इसे तेजी से आगे बढ़ाना है इसमें उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है। मध्यप्रदेश ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। मध्यप्रदेश ने कृषि, सिंचाई और विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ रहा है। मध्यप्रदेश आज रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। हम मध्यप्रदेश को मेक इन इंडिया के लिये मेक इन मध्यप्रदेश के रूप में आदर्श राज्य बनायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में औद्योगिक शांति है। उद्योगों के लिये जमीन उपलब्ध है। उद्योगों को स्वीकृतियाँ देने के लिये वास्तविक सिंगल विंडो बनायी गयी है।

इस अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, केन्द्रीय श्रम, इस्पात और रोजगार मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत, 28 देशों के राजदूत और हाई-कमिश्नर, प्रदेश मंत्रिमंडल के सदस्य और देश के प्रमुख उद्योगपति उपस्थित थे।

कृषि आधारित सूक्ष्म उद्योगों की अपार संभावनाएं

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का सम्मेलन

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2014 का शुभारंभ 8 अक्टूबर को इंदौर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के सम्मेलन से हुआ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिये अलग मंत्रालय बनाने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड गठित करने की घोषणा की।

केन्द्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री श्री कलराज मिश्र ने 8 अक्टूबर को इंदौर में प्रदेश में उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिये 30 से 40 इनक्यूबेशन केन्द्र खोलने और 150 करोड़ की लागत से एक टूल रूम खोलने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि देश में 500 इनक्यूबेशन केन्द्र खुलेंगे।

समिट की अध्यक्षता करते हुए लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में विकास के अद्‌भुत दौर का अनुभव कर रहा है। सूक्ष्म उद्योग कम लागत में ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं इसलिये राज्य को इनसे विशेष लगाव है।

केन्द्रीय मंत्री श्री कलराज मिश्र ने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों की बैंक लोन समस्या दूर करने के लिये क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया मिशन को पूरा करने में मध्यप्रदेश ने मेक इन मध्यप्रदेश मिशन बनाकर सकारात्मक पहल की है।

श्री मिश्र ने मध्यप्रदेश में आर्थिक और कृषि क्षेत्र में हुई प्रगति को अद्‌भुत बताते हुए कहा कि प्रदेश ने सूक्ष्म और लघु उद्योगों के विकास में उल्लेखनीय काम किया है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों की सबसे बड़ी आवश्यकता भूमि और बिजली को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति को देखते हुए कृषि आधारित सूक्ष्म उद्योगों की अपार संभावनाएँ हैं।

मुख्यमंत्री ने छोटे उद्योगों के लिये खोले विकास के द्वार : मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अनावश्यक कानूनों से मुक्त किया जायेगा। प्रदेश में उद्योग व्यवसायों के लिये स्व-घोषित एक ही रिटर्न जमा करने की योजना लागू की जायेगी। लायसेंस रजिस्ट्रेशन देने की समय-सीमा निर्धारित होगी। समय-सीमा में लायसेंस रजिस्ट्रेशन जारी नहीं हुआ तो स्वतः जारी होना मान लिया जायेगा। प्रदेश में 16 श्रम अधिनियम के तहत संधारित की जाने वाली 61 पंजी के स्थान पर एक ही पंजी की व्यवस्था लागू की जायेगी। इसी तरह 13 रिटर्न के स्थान पर 2 रिटर्न ही भरने होंगे। नौ श्रम कानून के प्रावधानों से सूक्ष्म उद्योगों को छूट दी जायेगी। लघु उद्योगों पर स्टेण्डिंग आर्डर एक्ट तभी लागू किया जायेगा जब श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक होगी, वर्तमान में यह संख्या 20 है। प्रदेश में नवाचारी उद्यमों को प्रोत्साहित

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन की महत्वपूर्ण घोषणाएं

- म.प्र. में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिये अलग मंत्रालय बनेगा।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन होगा।
- उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिये प्रदेश में 30 से 40 इनक्यूबेशन केन्द्र खोले जायेंगे।
- 150 करोड़ की लागत से टूल रूम स्थापित किया जायेगा।
- पूरे देश में 500 इनक्यूबेशन केन्द्र तथा 15 टूल रूम खोले जा रहे हैं।
- प्रदेश में उद्योग व्यवसायों के लिये स्व-घोषित एक ही रिटर्न जमा करने की योजना लागू।
- लायसेंस रजिस्ट्रेशन देने की समय-सीमा निर्धारित होगी।
- 16 श्रम अधिनियम के तहत संधारित की जाने वाली 61 पंजी के स्थान पर एक ही पंजी की व्यवस्था लागू।
- अब 13 रिटर्न के स्थान पर 2 रिटर्न ही भरने होंगे।
- नौ श्रम कानून के प्रावधानों से सूक्ष्म उद्योगों को छूट की व्यवस्था।
- लघु उद्योगों पर 50 से अधिक श्रमिकों की संख्या होने पर ही लागू होगा स्टेण्डिंग आर्डर।
- नवाचारी उद्यमों के लिये 100 करोड़ रुपये का वेंचर फण्ड स्थापित होगा।
- लघु और कुटीर उद्योगों के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 20 प्रतिशत भूमि आरक्षित होगी।
- बड़े उद्योगों के साथ सहायक इकाई के रूप में कार्यरत लघु उद्योग को बड़े उद्योगों जैसी छूट की व्यवस्था।
- लघु उद्योगों के लिये ब्याज अनुदान की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख हुई।
- विशेष पेकेज के लिये जिलों के स्थान पर विकासखण्ड को पिछड़ा मानकर उद्योग लगाने की विशेष सुविधा।
- प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सहमति, फूड एण्ड ड्रग कंट्रोलर से अनुमति और लायसेंस प्राप्त करने की ऑनलाइन व्यवस्था।
- प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से सहमति का नवीनीकरण अब 5 से 15 साल के लिये वैध होगा।
- उत्पाद निर्माण का प्रमाणीकरण अब 5 साल में एक बार।
- परफार्मेंस सर्टिफिकेट अब तीन दिन में होगा जारी।

करने के लिये 100 करोड़ रुपये का वेंचर फण्ड स्थापित किया जायेगा। लघु और कुटीर उद्योगों के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 20 प्रतिशत भूमि आरक्षित रखी जायेगी। बड़े उद्योगों के साथ सहायक इकाई के रूप में कार्यरत लघु उद्योग यदि बड़े उद्योग को 75 प्रतिशत उत्पाद देते हैं तो उन्हें भी वही छूट दी जायेगी जो बड़े उद्योग को दी गई है। बड़े उद्योग को अपने सहयोगी छोटे उद्योग को भूमि सब लीज करने की सुविधा दी जायेगी। लघु और मध्यम उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र लगाने पर पूंजी अनुदान दिया जायेगा। लघु उद्योगों के लिये ब्याज अनुदान की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख रुपये की जायेगी। लघु, मध्यम उद्योगों को वेट की 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति तत्काल तथा 25 प्रतिशत कर निर्धारण के बाद कर दी जायेगी। इसमें अपात्र उद्योगों की संख्या 52 से घटाकर 19 की जायेगी ताकि अधिक से अधिक उद्योगों को सहायता प्राप्त हो सके। विशेष पैकेज के लिये जिलों के स्थान पर अब विकासखण्ड को पिछड़ा मानकर उद्योग लगाने पर विशेष सुविधाएँ दी जायेंगी। प्रदूषण मंडल से सहमति का आवेदन अब ऑनलाइन तथा निर्धारित समय-सीमा में जारी किया जायेगा। जारी सहमति का नवीनीकरण अब 5 से 15 साल के लिये वैध होगा। जिन्होंने सहमति का नवीनीकरण नहीं कराया है उन्हें वन टाइम सेटलमेंट की सुविधा दी जायेगी। लघु श्रेणी के 544 प्रकार की इकाइयाँ अब ऑनलाइन आवेदन जमा करके ही आवश्यक सहमति प्राप्त कर सकेंगी। फूड एण्ड ड्रग कंट्रोलर से अनुमति और लायसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जायेगा। उत्पाद निर्माण का प्रमाणीकरण अब हर साल नहीं बल्कि 5 साल में एक बार लेना होगा। नये उत्पाद को शामिल करने के आवेदन का निराकरण 5 दिन में कर दिया जायेगा। परफार्मेंस सर्टिफिकेट तीन दिन में जारी किया जायेगा। यदि लघु उद्योग के पास भारत शासन की अनापत्ति है तो उसे तीन दिन में राज्य शासन से अनुमति दी जायेगी। समय-सीमा में स्वीकृति जारी करने को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के उत्पादों को देश-विदेश के बाजारों में विपणन का कार्य मध्यप्रदेश लघु उद्योग विकास निगम करेगा। मुख्यमंत्री ने अपील की कि स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी करें, नये उत्पाद के निर्माण के साथ 10 पेड़ लगायें।

उद्योग मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया ने कहा कि सूक्ष्म और लघु उद्योगों की प्रदेश में अपार संभावनाएँ हैं। सूक्ष्म और

INVEST MADHYA PRADESH
GLOBAL INVESTORS SUMMIT
Brilliant Convention Centre, Indore

6 लाख 89 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 अक्टूबर को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2014 के समापन समारोह में बताया कि इस समिट में 6 लाख 89 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आये हैं। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को देश की अर्थव्यवस्था का ड्राइविंग फोर्स बनाने के लिये हरसंभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि अगली इन्वेस्टर्स समिट इंदौर में 19 से 21 अक्टूबर 2016 के बीच होगी। समारोह में उपस्थित केन्द्रीय मंत्रियों ने मध्यप्रदेश के लिये हजारों करोड़ रुपये की निवेश सौगातों की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समिट में प्राप्त निवेश प्रस्तावों के आधार पर रोडमेप बनाया जायेगा। प्रत्येक निवेशक के साथ एक अधिकारी को जोड़कर सिंगल डोर व्यवस्था से स्वीकृतियाँ दिलाई जायेंगी। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिये जरूरी पानी, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, भूमि, प्रतिभा और विश्वास है। इनके आधार पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' के सपने को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

मध्यप्रदेश में 'ईज़ ऑफ बिजनेस डूईंग' पर रिपोर्ट तैयार कर देश के सामने रखेंगे। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान किया कि मध्यप्रदेश के विकास में भागीदार बनें, 'मेक इन एमपी' में शामिल हों और नये मध्यप्रदेश की रचना करें।

समिट में

प्रतिनिधि	-	5000
विशेष अतिथि	-	200
अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि	-	500
सहभागी देश	-	28
साझेदार देश	-	09
भाग लेने वाले उद्योग/ संस्थाएं और पीएमयू	-	107
नालेज सेमीनार	-	38
वक्ता	-	189

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में मुख्यमंत्री की घोषणाएं

- एम.एस.एम.ई. के लिए नया विभाग।
- रुपये 10 लाख से रुपये 1 करोड़ तक की ऋण सुविधाएं।
- क्लस्टर विकास पर ध्यान जिससे संसाधनों का बेहतर उपयोग हो।
- निश्चित समय सीमा में लाइसेंस न मिल पाने पर, उसे पाया माना जाएगा।
- एम.एस.एम.ई. क्षेत्र के विकास के लिये रुपये 100 करोड़ का प्रावधान।
- प्रदेश में 27 नये औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

लघु उद्योगों को मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास की आधारशिला बताते हुए श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में लघु उद्यमियों के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रयासों से प्रदेश निवेश कॉरिडोर बन रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न देशों से आये राजदूत तथा हाई-कमिश्नर सहित वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुश्री कुसुम महदेले, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री विजय शाह, महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह, परिवहन मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री पारस जैन, श्रम मंत्री श्री अंतर सिंह आर्य, पर्यटन राज्यमंत्री श्री सुरेन्द्र पटवा, महापौर श्री कृष्णमुरारी मोघे, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शंकर लालवानी, विधायक, जन-प्रतिनिधि तथा उद्यमी उपस्थित थे।

मांग और भागीदारी से ग्रामीण विकास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे अच्छी राजनीति के द्वार खुलेंगे। उन्होंने सभी सांसदों से विकास के लिए एक-एक गांव का चयन करने का आग्रह किया और कहा कि ये विकास आपूर्ति पर आधारित मॉडल के बजाय मांग और जरूरत तथा जनता की भागीदारी पर आधारित होना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्सर गांवों में विकास आपूर्ति की उपलब्धता के अनुरूप किया जाता है। उन्होंने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना की तीन अनूठी विशेषताएं होनी चाहिए। यह मांग पर आधारित हो, समाज द्वारा प्रेरित हो और इसमें जनता की भागीदारी होनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि लोकतंत्र और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता लेकिन बुरी राजनीति से अक्सर नुकसान होता है। यह योजना अच्छी राजनीति की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगी और सांसद मददगार और उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाएंगे।

योजना के दिशा निर्देश जारी करने के बाद समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक सभी सरकारों ने ग्रामीण विकास के लिए काम किया है। इन प्रयासों में समय के साथ संशोधन किया जाना चाहिए ताकि विश्व में आ रहे परिवर्तनों के अनुरूप आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने कहा हालांकि देश भर में सरकारी स्कीमों पर काम किया जा रहा है लेकिन प्रत्येक राज्य में कुछ ही ऐसे गांव हैं जिन पर गर्व किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि इन गांवों में नेतृत्व और जनता ने सरकारी स्कीमों के अलावा कुछ अतिरिक्त प्रयास किये हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के पीछे भी कुछ अतिरिक्त प्रयास किये जाने की भावना है।

प्रधानमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयन्ती पर उनसे प्रेरणा लेते हुए कहा कि आदर्श ग्राम बनाने के लिए विकास में जनता की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने नानाजी देशमुख को याद करते हुए कहा कि उन्होंने गांव की आत्मनिर्भरता की अवधारणा के लिए काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसदों के नेतृत्व में काम करेगी। श्री मोदी ने कहा कि 2016 तक प्रत्येक सांसद एक-एक गांव को विकसित बनाएंगे और बाद में 2019 तक दो और गांवों का विकास होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर राज्य सरकारें भी विधायकों को इस योजना के लिए काम करने को प्रोत्साहित करें तो इसी समय सीमा में 5 से 6 और गांवों को विकसित बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक ब्लॉक में एक गांव विकसित किया जाता है तो इसका ब्लॉक के अन्य गांवों पर अनुकूल असर पड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी स्कीमें अक्सर अलग-थलग संचालित की जाती हैं, मगर सांसद आदर्श ग्राम योजना सांसदों को इन स्कीमों की बाधाओं को उजागर करने का अवसर देगी, जिससे परिणामोन्मुख दृष्टिकोण विकसित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद अपने क्षेत्र में कोई भी गांव चुनने में स्वतंत्र होंगे मगर वे अपना गांव या अपने ससुराल के गांव का चयन नहीं कर सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम योजना विकास के प्रति लचीला दृष्टिकोण प्रदान करेगी और उन्होंने आशा व्यक्त की कि आदर्श ग्राम, ग्रामीण विकास के बारे में सीखने के इच्छुक लोगों के लिए तीर्थ स्थान बन जाएंगे। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री उपेन्द्र कुशवाहा ने भी इस अवसर पर विचार व्यक्त किये।

पंचायत दर्पण वेब पोर्टल को

स्कॉच अवार्ड

त्रि-स्तरीय पंचायतों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिये पुरस्कृत

सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से त्रि-स्तरीय पंचायतों की लेखा-जोखा प्रणाली को बेहतर बनाने के मकसद से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश द्वारा तैयार किये गये पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर और वेब पोर्टल को प्रतिष्ठित स्कॉच डिजिटल इन्क्लूजन अवार्ड प्रदान किया गया है। त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं में बेहतर वित्तीय प्रबंधन और लेखा प्रणाली की पारदर्शिता के लिये मध्यप्रदेश को यह प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है।

प्रदेश की महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश श्री रघुवीर श्रीवास्तव और विभागीय टीम के सदस्यों को 21 सितंबर को नई दिल्ली में एक समारोह में स्कॉच अवार्ड प्रदान किया। इस अनूठे सफल प्रयास के लिये 20 सितंबर को स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट से भी मध्यप्रदेश को नवाज़ा गया। मध्यप्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायतों की लेखा-जोखा प्रणाली को आसान बनाने के मकसद से www.mppanchayatderpan.org वेब पोर्टल पर पंचायत दर्पण सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाया गया है। इस अनूठे सॉफ्टवेयर की मदद से चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों को त्रि-स्तरीय पंचायतों की लेखा प्रणाली को सुचारु और पारदर्शी तरीकों से सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिल रही है। इसके साथ ही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को त्रि-स्तरीय पंचायतों में संचालित विभागीय गतिविधियों और योजनाओं की प्रगति को जानने और निर्माण कार्यों की निगरानी रखने में आसानी हुई है। इस वेब पोर्टल के माध्यम से सीएजी के द्वारा ऑडिट के संदर्भ में निर्धारित आठ डाटा प्रपत्र की जानकारी तथा त्रि-स्तरीय पंचायतों के आय-व्यय का अन्य विवरण निर्धारित लेखा शीर्ष अनुसार उपलब्ध हो जाता है।

यह सॉफ्टवेयर 13वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, स्टाम्प ड्यूटी, करों के अधिरोपण और वसूली, मनरेगा, विभिन्न आवास योजनाओं, स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विभाग की योजनाओं, स्वास्थ्य योजना और पेंशन वितरण व्यवस्था के लिये पंचायतों को आवंटित बजट के विवरण को संधारित करने में सक्षम है। सॉफ्टवेयर की यह खूबी है कि हर ग्राम पंचायत में हुए निर्माण कार्यों के खर्च और उनसे संबंधित हर हिसाब-किताब को कोई भी व्यक्ति संबंधित पंचायत की वेबसाइट पर देख सकता है। आम लोगों तक सूचना के अधिकार की सुलभता में यह एक अभिनव पहल है।

पंचायत द्वारा केवल दो प्रविष्टि रोकड़ बही रजिस्टर में दर्ज करने से वित्तीय रख-रखाव के लिये महालेखा परीक्षक की सांविधिक रिपोर्ट और योजनावार सभी वैधानिक ब्यौरे इस सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः ही तैयार हो जाते हैं।

पंचायत दर्पण में पंचायत स्तर के लेखाओं और लेन-देन की सभी जानकारियाँ रहती हैं। ग्राम पंचायतों को वितरित राशि और त्रि-स्तरीय पंचायतों द्वारा संपन्न कार्यों को वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक डोमेन में प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा सभी 23006 ग्राम पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं की तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति संबंधी जानकारी तथा आय-व्यय का विवरण भी एक क्लिक पर प्राप्त हो जाता है। पंचायत दर्पण वेब पोर्टल पर ग्रामीण अंचलों में हुए 1 लाख 54 हजार निर्माण कार्यों का ब्यौरा भी दर्ज किया जा चुका है

● देवेन्द्र जोशी

गरीबी दूर करने के सफल प्रयास मध्यप्रदेश को मिला स्कॉच अवार्ड

डीपीआईपी परियोजना के दूसरे चरण में 15 जिलों के करीब 7 लाख गरीब ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक आर्थिक बदलाव लाया गया है। इसके जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक प्रेरकों की मदद से ग्राम संगठन बनाये गये। स्व-सहायता समूहों का गठन कर उन्हें सामूहिक आर्थिक विकास और आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। परियोजना से सात लाख परिवारों का आर्थिक उत्थान संभव हुआ है।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लाखों गरीब ग्रामीण परिवारों के आर्थिक उत्थान के सफल प्रयासों के लिए मध्यप्रदेश डीपीआईपी को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से नवाज़ा गया है। 21 सितंबर को नई दिल्ली स्थित इंडिया हेबिटेट सेन्टर में सम्पन्न समारोह में केन्द्रीय श्रम, इस्पात तथा खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा प्रदेश की महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मध्यप्रदेश को जिला गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (डीपीआईपी) के दूसरे चरण के सफल क्रियान्वयन के लिए यह अवार्ड प्रदान किया। परियोजना समन्वयक डीपीआईपी मध्यप्रदेश श्री एल.एम. बेलवाल और समन्वयक सामुदायिक विकास श्री मनोज सिंह ने यह अवार्ड प्राप्त किया। इससे पहले 20 सितंबर को डीपीआईपी मध्यप्रदेश को 'स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट' भी दिया गया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव और अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड प्राप्त करने की महत्वपूर्ण सफलता पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने डीपीआईपी की राज्य इकाई और जिला तथा मैदानी स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों तथा कर्मचारियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

डीपीआईपी परियोजना के दूसरे चरण में 15 जिलों के करीब 7 लाख गरीब ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक आर्थिक बदलाव लाया गया है। ग्रामीण परिवारों के आर्थिक उत्थान के साथ सामुदायिक विकास में सशक्त भागीदारी के प्रयासों में भी सफलता मिली है। डीपीआईपी परियोजना के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक प्रेरकों की मदद से ग्राम संगठन बनाये गये।

स्व-सहायता समूहों का गठन कर उन्हें सामूहिक आर्थिक विकास और आजीविका गतिविधियों से जोड़ा गया है। समूह की महिला सदस्य त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में भी भागीदारी कर रही हैं। विभिन्न पदों पर निर्वाचित होकर वे ग्रामीण अंचल के विकास में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं। ग्राम सभाओं में समूह की सदस्य महिलाओं की सशक्त भागीदारी से सार्थक बदलाव आया है और ग्रामीण अंचलों की तस्वीर भी बदली है।

मध्यप्रदेश के समग्र की देश भर में धूम मिला प्लेटिनम स्कॉच अवार्ड

मध्यप्रदेश में संचालित हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ समग्र पोर्टल के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक सीधे पहुँचाने के अभिनव प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है।

वर्तमान में समग्र के जरिये समेकित छात्रवृत्ति, खाद्य सुरक्षा तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। नई दिल्ली के इंडिया हेबिटेट सेन्टर में 21 सितंबर को एक समारोह में समग्र पोर्टल को प्रतिष्ठित प्लेटिनम अवार्ड दिया गया।

केन्द्रीय श्रम, इस्पात एवं खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और मध्यप्रदेश की महिला-बाल विकास मंत्री श्रीमती माया सिंह ने समारोह में इस श्रेष्ठतम उपलब्धि के लिए समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन म.प्र. को प्लेटिनम स्कॉच अवार्ड से नवाज़ा। मिशन संचालक श्री अजीत कुमार और तकनीकी संचालक श्री सुनील जैन तथा समग्र टीम के सदस्यों ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इससे पहले 21 सितंबर को मध्यप्रदेश के समग्र पोर्टल को 'स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट' भी दिया गया।

सामाजिक न्याय विभाग मंत्री श्री गोपाल भार्गव और अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड प्राप्त करने की महत्वपूर्ण सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) और समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन दल को बधाई दी है।

मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सभी परिवारों और परिवार सदस्यों का ऑनलाइन पंजीयन कर राज्य जनसंख्या पंजी तैयार की गई है। पंजीकृत सभी परिवारों और सदस्यों को समग्र आईडी प्रदान किये गये हैं। समग्र पोर्टल के जरिये कल्याणकारी हितग्राहीमूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आई है। मध्यप्रदेश में समग्र पोर्टल पर खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे 5 करोड़ 10 लाख हितग्राहियों का सत्यापित विवरण दर्ज है। इसी तरह कक्षा 1 से 12वीं तक अध्ययनरत 1 करोड़ 54 लाख विद्यार्थियों की मेपिंग की गई है। इस आधार पर छात्रवृत्ति के लिए 81 लाख 23 हजार विद्यार्थियों के आवेदन-पत्रों को मंजूरी मिल चुकी है। समग्र पोर्टल पर सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे 28 लाख 4 हजार हितग्राहियों का सत्यापित ब्यौरा दर्ज है। सभी हितग्राहियों को उनके बैंक खातों तथा पोस्ट ऑफिस के जरिये पेंशन राशि का भुगतान आसान हो गया है। देश के कई राज्यों ने मध्यप्रदेश के समग्र को अपनाने के प्रति रुचि दर्शाई है। विभिन्न राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने मध्यप्रदेश आकर समग्र के क्रियान्वयन का जायजा लिया है।

पंचायत चुनाव लड़ने के लिए निरर्हताएं

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों या पदधारी के लिए आवश्यक निरर्हताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत जो अभ्यर्थी इन निरर्हताओं को पूरा कर पाने में असमर्थ है वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी आदेश पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ/22./पंचा./2014/11520 **भोपाल, दिनांक 15.10.2014**

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   जिला - समस्त,
   मध्यप्रदेश।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जनपद पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय : पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अयोग्यता के संबंध में।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 36 में पंचायत का पदधारी होने के लिए निरर्हताओं का विस्तार से प्रावधान है।

पंचायत निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा रिटर्निंग अधिकारी (पंचायत) के समक्ष प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) के समय यदि किसी व्यक्ति द्वारा उक्त अयोग्यताओं में से किसी अयोग्यता को प्रमाण सहित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आपत्ति की जाती है और आपत्ति सही पाई जाती है तब ऐसी स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी (उम्मीदवार) का नाम निर्देशन पत्र खारिज कर दिया जाता है और संबंधित व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ने से वंचित हो जाता है।

2. धारा 36 की उपधारा (1) के खंड (ग-ख) में एक ऐसी अयोग्यता प्रावधानित है, जिससे अधिकांश ग्रामवासी ग्रसित रहते हैं और वे इस अयोग्यता से अनभिज्ञ रहते हैं। इस निरर्हता (अयोग्यता) का उद्धरण निम्नानुसार है:-

3. धारा 36 (1) (ग-ख) - कोई व्यक्ति किसी पंचायत का पदधारी होने के लिए पात्र नहीं होगा - जिसने संपूर्ण शोध्यों का संदाय नहीं किया है, जो पंचायत द्वारा वसूली योग्य हैं और ऐसे आशय की घोषणा कि उसके द्वारा किसी भी मद में पंचायत को देय किसी शोध्य धन का संदाय नहीं किया जाना है, नाम निर्देशन - पत्र के साथ फाईल नहीं की है।

4. इस अयोग्यता संबंधी प्रावधान में पंचायत को देय संपूर्ण प्रकार के बकाया शामिल हैं, अर्थात् किसी भी मद में पंचायत को देय वसूली योग्य राशि सम्मिलित है। पंचायत के विभिन्न मदों के अंतर्गत निम्नांकित राशियां सम्मिलित रहती हैं:-

(क) निर्माण कार्यों से संबंधित राशियां
(ख) अधिरोपित कर जैसे संपत्ति कर, वृत्ति कर, प्रकाश कर, जल कर आदि।
(ग) तालाब एवं "गौण खनिज" खनिज पट्टे की बकाया राशियां।
(घ) किराये पर दी गई पंचायत की अचल संपत्ति भवन आदि का बकाया किराया।
(ड.) विभिन्न प्रयोजनों के लिए पंचायत द्वारा देय अग्रिम का बकाया।
(च) शासन के विभिन्न विभागों द्वारा पंचायत को प्रदाय राशियों से कार्यान्वित कार्यों की बकाया राशियां।

5. पंचायत निर्वाचन के दौरान कतिपय उम्मीदवारों द्वारा धारा 36 में वर्णित अयोग्यताओं को नाम निर्देशन पत्र भरते समय छिपा लिया जाता था। इसलिये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 में नियम 31 - क जोड़ा गया है। जो निम्नानुसार हैः-

नियम 31 - क - अभ्यर्थियों के आपराधिक अभिलेख, संपत्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हताओं आदि की जानकारी -

(1) पंच के पद के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी नामनिर्देशन-पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए प्ररूप में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी शैक्षणिक अर्हताओं, लंबित/विनिश्चित आपराधिक मामलों, स्वयं की तथा उसके/उसकी पति या पत्नि और आश्रितों की आस्तियों तथा दायित्वों के बारे में जानकारी उसके/उसकी जीवित संतान की संख्या की तथा इस बारे में जानकारी सम्मिलित होगी कि क्या वह सरकारी भूमि पर एक अधिक्रमणकर्ता है ?

(2) सरपंच के पद, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी, नामनिर्देशन-पत्र के साथ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए प्ररूप में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उसकी शैक्षणिक अर्हताओं, लंबित/विनिश्चित आपराधिक मामलों स्वयं की तथा उसके/उसकी पति या पत्नि और आश्रितों की आस्तियों तथा दायित्वों के बारे में जानकारी, उसके/उसकी जीवित संतान की संख्या की तथा इस बारे में जानकारी सम्मिलित होगी कि क्या वह सरकारी भूमि पर एक अधिक्रमणकर्ता है ? शपथ-पत्र पर, सक्षम नोटरी, मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त के समक्ष शपथ ग्रहण की जाएगी।

(3) पंच, सरपंच के पद, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के सदस्य के लिये अभ्यर्थियों के शपथ-पत्र/घोषणा की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। इसकी प्रति किसी भी नागरिक को मांग की जाने पर विहित फीस का भुगतान किए जाने पर उपलब्ध कराई जाएगी।

अर्थात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत घोषणा पत्र में भी सही-सही जानकारी दी जाना अनिवार्य है, अन्यथा उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है।

6. पंचायत के शोध्य मदवार बकाया राशियों के संबंध में संबंधित व्यक्ति को मांग सूचना जारी कर विधिवत् तामील कराना आवश्यक है। ग्राम पंचायत द्वारा अधिरोपित करों की बकाया, भवन आदि का बकाया किराया प्रदाय विभिन्न अग्रिम आदि के नोटिस (मांग-सूचना) संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार जिस स्तर से तालाब तथा गौण खनिज खनन के पट्टे दिए गए हैं, उसी स्तर से नोटिस जारी किए जाएंगे। निर्माण कार्यों की बकाया राशि, राशियों का अपव्यय अर्थात् निर्माण कार्यों में व्यय राशियों के विरुद्ध मूल्यांकन के अंतर की राशि वसूली हेतु नोटिस संबंधित जनपद पंचायत के द्वारा जारी कर तामील कराये जाएंगे।

पंचायत के पूर्व या पद से हटाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध नोटिस मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा जारी कर तामील कराये जाएंगे।

7. उल्लेखनीय है कि पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2014-2015 की प्रक्रिया जारी है। जनवरी 2015 में मतदान नियत है। अतः समय पर संबंधित बकायादारों को नोटिस जारी कर अधिक से अधिक बकाया राशियां वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जाए और पंचायत के बकायादार व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित करने की कार्यवाही की जाए।

8. उक्त प्रावधानों की जानकारी समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को आवश्यक रूप से दी जावे।

(अरुणा शर्मा)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

त्रि-स्तरीय पंचायतों में निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण

त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम चुनाव के लिए पंचों, सरपंचों, जनपद और जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों एवं अध्यक्षों के आरक्षण को लेकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आरक्षण संबंधी कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। इस संबंध में जारी परिपत्र को पंचायिका में यथावत प्रकाशित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/एफ-1-1/2014/22/पं.-2 **भोपाल, दिनांक 13.10.2014**

प्रति,

समस्त कलेक्टर
मध्यप्रदेश।

विषय : त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव 2014-15 पंचों/सरपंचों, जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र एवं अध्यक्ष तथा जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण (संशोधित कार्यक्रम)।

संदर्भ : इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ-1-1/2014/22/पं.-2 भोपाल, दिनांक 01 सितम्बर 2014।

कृपया विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। दिनांक 01 सितम्बर 2014 को जारी किये गये निर्देश के परिप्रेक्ष्य में वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों तथा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों का विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों के लिए आवंटन का कार्यक्रम पूर्व में जारी किया गया था। बिन्दु क्रमांक 7.4 एवं 7.5 में अंकित तिथियों में शासकीय अवकाश होने के कारण निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रों तथा ग्राम पंचायत के सरपंच एवं जनपद पंचायत के अध्यक्ष के पदों का विभिन्न आरक्षित प्रवर्गों के लिए आवंटन का कार्यक्रम :-

क्रमांक	कार्य विवरण	दिनांक
7.1	ग्राम पंचायत के वार्ड/तथा सरपंच पद के आरक्षण के आशय की प्रारंभिक सूचना (जिसमें स्थान/तारीख/समय का उल्लेख होगा) की तिथि	13 अक्टूबर 2014 (सोमवार)
7.2	जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र/अध्यक्ष पद के आरक्षण के आशय की प्रारंभिक सूचना (जिसमें स्थान/तारीख/समय का उल्लेख होगा) की तिथि	13 अक्टूबर, 2014 (सोमवार)
7.3	जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षण के आशय की प्रारंभिक सूचना (जिसमें स्थान/तारीख/समय का उल्लेख होगा) की तिथि	13 अक्टूबर 2014 (सोमवार)
7.4	ग्राम पंचायत के वार्ड/सरपंच पद के आरक्षण की कार्यवाही की तिथि	27 अक्टूबर 2014 (सोमवार)
7.5	जनपद पंचायत, जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही की तिथि	28 अक्टूबर 2014 (मंगलवार)
7.6	जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण की कार्यवाही राज्य स्तर पर की तिथि	10 नवम्बर, 2014 (सोमवार)

(शोभा निकुंभ)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग